पंचम माला, खंड 57, अंक 21, गुरुवार, 5 फरवरी, 1976/16 माघ, 1897 (शक)

Fifth Series, Vol. LVII, No. 21, Thursday, February 5, 1976/Magha 16, 1897 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

5th Lok Sabha

[पंद्रहवां सत्र
Fifteenth Session]

सत्यमेव जयते

[खंड 57 में अंक 21 से 22 तक हैं
Vol. LVII contains Nos. 21 to 22]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price: Two Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय-सूची

CONTENTS

संख्या 21, गुरुवार, 5 फरवरी, 1976/16 माघ, 1897 (शक)

No. 21, Thursday, February 5, 1976/Magha 16, 1897 (Saka)

विषय	SUBJECT	PAGES
कुवैत के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत	Welcome to Kuwait Parliamentary Delegation	1-2
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table	2
याचिका समिति—	Committee on Petitions—	
कार्यवाही-सारांश सभा पटल पर रखे गये	Minutes laid	5
राज्य सभा से संदेश	Messages from Rajya Sabha . . .	5, 42
सभी की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति	Leave of Absence from the Sittings of the House	5
लोक लेखा समिति—	Public Accounts Committee . . .	5
195वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया	Hundred and ninety-fifth Report presented .	6
प्राक्कलन समिति—	Estimates Committee— . . .	
89वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया	Eighty-ninth Report preentsed . . .	6
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति—	Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes— . . .	
(एक) 48वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया	(i) Forty-eight Report presented . .	6
(दो) पदावधि का विस्तारण	(ii) Extension of term of Office .	8-9
प्राकृतिक रबड़ के मूल्यों में गिरावट के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Fall in Price of Matria; Rubber—	
श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह	Shri Shivnath Partap Singh . .	6-7
दिल्ली में कुमारी मणिबेन पटेल, संसद सदस्य की कथित गिरफ्तारी के बारे में विशेषाधिकार का प्रश्न	Question of Privilege *re.* Alleged Arrest of Kumari Maniben Patel, M.P. at Delhi .	7-8
लौह अयस्क खान और मैंगनीज अयस्क खान श्रम कल्याण निधि विधेयक— पुरःस्थापित	Iron Ore Mines and Manganese Ore Mines Labour Welfare Fund Bill—*Introduced* .	10

विषय	SUBJECT	PAGES
लौह अयस्क खान और मैंगनीज अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर विधेयक -- पुरःस्थापित	Iron Ore Mines and Manganese Ore Mines Labour Welfare Cess Bill—*Introduced* .	11
औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक—	Industrial Disputes (Amendment) Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	12—27
श्री रघुनाथ रेड्डी	Shri Raghunatha Reddy . .	12-13, 21—26
श्री दीनेन भटटाचार्य	Shri Dinen Bhattacharyya . . .	13-14
श्री राम सिह भाई	Shri Ram Singh Bhai	15
डा० रानेन सेन	Dr. Ranen Sen	15-16
श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C.M. Stephen	17-18
श्री इराज्मु द सेकैरा	Shri Erasmo de Sequeira . . .	18-89
श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य	Shri Chapalendu Bhattacharyyia . .	19-20
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee . . .	20-21
श्री मूल चन्द डागा	Shri M.C. Daga	21
श्री के० मायातेवर	Shri K. Mayathevar . . .	21
खंड 2 से 4 तथा 1	Clauses 2 to 4 and 1	
संशोधित रूप में, पास करने का प्रस्ताव	Motion to pass., as amended . .	25-26
श्री रघुनाथ रेडडी	Shri Raghunatha Reddy . . .	
श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर	Shri Krishna Chandra Halder .	26-27
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri . . .	27
उदग्रहण चीनी समान कीमत निधि विधेयक—	Levy Sugar Price Equalisation Fund Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	27—35
श्री शाहनवाज खां	Shri Shahnawaz Khan	27-28
डा० सारादीश राय	Dr. Saradish Roy	28-29
श्री के० सूर्यनारायण	Shri K. Suryanarayana	30-31
श्री सरजू पांडे	Shri Sarjoo Pandey	31
श्री नरसिम्हा रेडडी	Shri P. Narasimha Reddy . .	31-32
श्री शिवनाथ सिंह	Shri Shivnath Singh	32
श्री इसहाक सांभली	Shri Ishaque Sambhali	32
खंड 2 से 16 और 1	Clauses 2 to 16 and 1	33—35

विषय	Subject	Pages
संशोधित रूप में, पास करने का प्रस्ताव	Motion to pass. as amended . . .	33—35
श्री शाहनवाज खां	Shri Shahnawaz Khan	35
गन्ने के मूल्य के बारे में चर्चा	Discussion re. Sugarcane Price—	
श्री नरसिंह नारायण पांडे	Shri Narasingh Narain Pandey . . .	35-36
श्री एच० एम० पटेल	Shri H.M. Patel	36-37
श्री ई० वी० विखे पाटिल	Shri E.V. Vikhe Patil	37
श्री डी० के० पंडा	Shri D.K. Panda	37-38
श्री डी० एन० तिवारी	Shri D.N. Tiwary	38-39
श्री राम चन्द्र विकल	Shri Ram Chandra Vikal . . .	39
श्री राम देव सिंह	Shri Ram Deo Singh	39-40
श्री गेंदा सिंह	Shri Genda Singh	40
श्री एस० पी० भटंटाचार्य	Shri S.P. Bhattacharyya . . .	40-41
श्री के० सूर्यनारायण	Shri K. Suryanarayana	41-42
श्री इराज्मु द सेकैरा	Shri Erasmo de sequeira . . .	42-43
श्री पी० नरसिम्हा रेडडी	Shri P. Narasimha Reddy . . .	43-44
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavtar Shastri . . .	44
श्री डी० डी० देसाई	Shri D.D. Desai	44-45
श्री शिवनाथ सिंह	Shri Shivnath Singh	45-46
श्री शाहनवाज खां	Shri Shahnawaz Khan . . .	46

लोक-सभा

LOK SABHA

गुरुवार, 5 फरवरी, 1976/16 माघ, 1897 (शक)

Thursday; February, 5, 1976/Magha 16, 1897 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

कुवैत के संसदीय शिष्टमण्डल का स्वागत

WELCOME TO KUWAIT PARLIAMENTARY DELEGATION

अध्यक्ष महोदय : मैं अपनी ओर से और सभा के माननीय सदस्यों की ओर से भारत के दौरे पर आये कुवैत नेशनल असेम्बली के स्पीकर श्री खलीद सलेह एल-गुनैम, संसद् सदस्य, श्रीमती एल-गुनैम और कुवैत संसदीय शिष्टमंडल के माननीय सदस्यों का स्वागत करता हूं । शिष्टमंडल के अन्य सदस्य हैं :

1. श्री इब्राहीम अली खुशबिट, संसद् सदस्य,
2. श्री रशीद अब्दुल्ला, अल-फरहान, संसद् सदस्य,
3. श्री सलीम खलीद अल-नरजुक, संसद् सदस्य
4. श्री अब्बास हबीब मुनवर, संसद् सदस्य,
5. श्री अब्दुल्ला फाहद अली लाफी, संसद् सदस्य,
6. श्री मुहम्मद बासमी ए ल सिदरान, संसद् सदस्य और
7. श्री फरीद जब्बाल,
8. श्री थुनियाह हुमोड अल रद्दान और
9. श्री फैजल मोहम्मद खुदायबिर

शिष्टमंडल आज सुबह यहां पहुंचा है और भारत में 11 फरवरी तक रहेगा। हम भारत में उनके प्रवास के लिए मंगलकामना करते हैं। उनके माध्यम से हम कुवैत की संसद्, सरकार और जनता को शुभकामनाएं भेजते हैं।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE
आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन अधिसूचनाएं

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खां) : में निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत अधिसूचनाओं पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 1975, जो दिनांक 30 मई, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सा०नि० 309(ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) वनस्पति तेल उत्पाद (गुण-प्रकार मानक) आदेश, 1975, जो दिनांक 30 मई, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सा०नि० 310(ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(2) उपर्युक्त अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 10329/76]

भारतीय मानक संस्थान का वर्ष 1974–75 का वार्षिक प्रतिवेदन

उद्योग और नागरिक आपूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वी० पी० मौर्य) मैं भारतीय मानक संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1974–75 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 10330/76]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत अधिसूचना

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मन्त्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : मैं केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा०स०नि० 132 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 31 जनवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन सभा पटल पर रखता हूं।

(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 10331/76)

भारतीय डेरी निगम बड़ौदा का वर्ष 1974–75 का वार्षिक प्रतिवेदन, बीज (संशोधन) नियम, 1974 और एक विवरण

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खां) : श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत भारतीय डेरी निगम, बड़ौदा के वर्ष 1974–75 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 10332/76]

(2) (एक) बीज अधिनियम, 1966 की धारा 25 की उपधारा (3) के अन्तर्गत बीज (संशोधन) नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 29 अप्रैल, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सं०नि० 211(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) उपर्युक्त (एक) में उल्लिखित अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 10333/76]

भारतीय पेट्रोरसायन निगम लिमिटेड, बड़ोदा के वर्ष 1974–75 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

पेट्रोलियम मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) भारतीय पैट्रोरसायन निगम लिमिटेड, जवाहरनगर (बड़ौदा) के वर्ष 1974–75 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) भारतीय पैट्रोरसायन निगम लिमिटेड, जवाहरनगर (बड़ौदा) का वर्ष 1974–75 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 10334/76]

कम्पनी (केन्द्रीय सरकार के) सामान्य नियम और प्रपत्र (संशोधन) नियम, 1976, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन प्रारूप आदेश और परिसीमन अधिनियम 1972 के अधीन अधिसूचनाएं

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अन्तर्गत कम्पनी (केन्द्रीय सरकार के) सामान्य नियम तथा प्रपत्र (संशोधन) नियम,

1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 31 जनवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 154 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 10335/76]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 81 की उपधारा (4) के अन्तर्गत जारी किये जाने वाले प्रारूप आदेश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) संख्या 33/8/76-सी०एल० III की एक प्रति, जिसके द्वारा उपर्युक्त अधिनियम की धारा 81 की उपधारा (6) के अन्तर्गत मैसर्स भारत ओपथेलमिक ग्लास लिमिटेड, दुर्गापुर को अपने ऋण के एक भाग को साम्य अंश पूंजी में परिवर्तित करने का निदेश दिया गया है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 10336/76]

(3) परिसीमन अधिनियम, 1972 की धारा 11 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सां०आ० 38(ङ) जो दिनांक 14 जनवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा गुजरात राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 8 नवम्बर, 1974 के परिसीमन आयोग के आदेश संख्या 27 में कतिपय शुद्धियां की गई हैं।

(दो) सां०आ० 51(ङ) जो दिनांक 22 जनवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 8 दिसम्बर, 1973 के परिसीमन आयोग के आदेश संख्या 8 में कतिपय शुद्धियां की गई हैं।

(तीन) सां०आ० 54(ङ) जो दिनांक 22 जनवरी 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में दिनाक 21 जुलाई, 1974 के परिसीमन आयोग के आदेश संख्या 19 में कतिपय शुद्धियां की गई हैं।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 10337/76]

विभिन्न आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में विवरण

संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : मैं पांचवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों और की गयी प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के निम्नलिखित 8 विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 10338/76]

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : श्री डी० पी० यादव की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) प्रौद्योगिक संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 23 की उपधारा (4) के अन्तर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के वर्ष 1973–74 के प्रमाणित लेखे की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त दस्तावेज के अंग्रेजी संस्करण के साथ उसका हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल०टी० 10339/76]

याचिका समिति

COMMITTEE ON PETITIONS

कार्यवाही सारांश

श्री जगन्नाथ राव (छतरपुर) : मैं याचिका समिति की 58वीं से 79वीं बैठकों के कार्यवाही-सारांश सभा पटल पर रखता हूं।

राज्य सभा से सन्देश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

महासचिव : मैं राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित सन्देश की सूचना देता हूं :—

कि राज्य सभा 3 फरवरी, 1976 की अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 28 जनवरी, 1976 को पास किये गये संसदीय कार्यवाहियां (प्रकाशन संरक्षण) निरसन विधेयक, 1976 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई है।

सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति

LEAVE OF ABSENCE FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE

अध्यक्ष महोदय : सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति ने अपने 24वें प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि श्री समर गुह को प्रतिवेदन में बताई गई अवधि के लिए अनुपस्थिति की अनुमति दी जाये। तदनुसार अनुमति दी जाती है और सदस्य को सूचित कर दिया जायेगा।

लोक लेखा समिति—195वां प्रतिवेदन

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE—195TH REPORT

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : मैं राजधानी एक्सप्रैस के बारे में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 1973–74 के प्रतिवेदन, संघ सरकार (रेल) के पैरा 10 पर लोक लेखा समिति का 195वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

प्राक्कलन समिति—89वां प्रतिवेदन

ESTIMATES COMMITTEE—89TH REPORT

89वां प्रतिवेदन

श्री आर० के० सिन्हा (फ़ैज़ाबाद) : मैं मंत्रिमंडल सचिवालय (कार्मिक और प्रशासनिक सुधार) विभाग–अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती, प्रशिक्षण और नवीकरण पर प्राक्कलन समिति का 89वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

48 वां प्रतिवेदन

श्री डी० बासुमतारी (कोकराझार) : मैं वित्त मंत्रालय (बैंककारी विभाग)—बैंक आफ इण्डिया में परिवीक्षाधीन अधिकारियों की भर्ती पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति का 48वां प्रतिवेदन (अंग्रेजी तथा हिन्दी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

प्राकृतिक रबड़ के मूल्यों में गिरावट के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. FALL IN PRICES OF NATURAL RUBBER

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : प्राकृतिक रबड़ की कीमत में 1975 के मध्य से गिरावट का रुख रहा है। रबड़ उपजकर्ताओं से इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि देश में उपलब्ध फालतू रबड़ के निर्यात की अनुमति दी जाये। ऐसी भी एक स्थिति आई जब कीमत 665 रु० प्रति क्विंटल हो गई, जबकि जुलाई, 1975 तक औसत कीमत लगभग 800 रु० प्रति क्विंटल रही। वाणिज्य मंत्रालय में रबड़ उपजकर्ताओं और टायर/गैर-टायर विनिर्माताओं के प्रतिनिधियों के साथ अनेक बैठकें की गईं। यह पता चला कि कीमतों में कमी इसलिए आ रही थी क्योंकि विनिर्माता उद्योग रबड़ का अपना स्टाक $2\frac{1}{2}$ महीने के लिए रख पाने में असमर्थ था जोकि सामान्यतः उन्हें करना चाहिए था। अतः उद्योग से अपील की गई कि वे सामान्य स्टाक बनाये रखें ताकि उन उपजकर्ताओं को कुछ राहत मिल सके जिन्हें मजबूरन असाधारण रूप से बड़ा स्टाक रखना पड़ रहा था। विनिर्माता उद्योग के प्रतिनिधियों द्वारा इस बात का संकेत दिया गया कि फिलहाल देश में व्याप्त कठिन ऋण स्थितियों की वजह से उनके सामने वित्तीय समस्याएं हैं जिनके कारण वे ऐसे स्टाक नहीं रख पा रहे हैं। उनके पास पहले ही मौजूदा स्टाक में काफी बड़ी मात्रा में तैयार माल पड़ा है। उन्हें आश्वासन दिया गया कि ऋण सुविधाओं के लिए उनके आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर उन्हें वित्त मंत्रालय के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक को विचार करने के लिए भेजा जायेगा। केवल एक ही आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ जिसे तदनुसार अग्रेषित कर दिया गया।

हालांकि रबड़ की कीमत में अस्थायी तौर पर सुधार हुआ था परन्तु दिसम्बर, 1975 से इसमें पुनः कमी आनी शुरू हो गयी और गत कुछ दिनों के दौरान 680 रु० प्रति क्विंटल के निम्न स्तर पर पहुंच गयी। रबड़ उपजकर्ताओं से इस आशय के अभ्यावेदन पुनः प्राप्त हुए कि रबड़ के

निर्यात की अनुमति दी जाये ताकि वे अपने स्टाक निकाल सकें और साथ ही रबड़ की कीमतों को स्थिर किया जाये। यह बात उस समय भी दोहराई गई जब मैं 24 और 25 जनवरी, 1976 को कोट्टायम में था।

जब मैं दिल्ली लौटा तब मैंने रबड़ की मांग तथा सप्लाई स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए औद्योगिक सलाहकार, तकनीकी विकास के महानिदेशक तथा रबड़ बोर्ड के अध्यक्ष की एक बैठक तत्काल बुलाई। इस बात पर सहमति हुई कि उद्योग द्वारा 1975–76 के दौरान रबड़ की संभावित खपत को ध्यान में रखते हुए चार माह की आवश्यकताओं के लिए देश में अपेक्षित बफर-स्टाक की व्यवस्था करने के बाद प्राकृतिक रबड़ की कुछ फालतू मात्रा रहेगी।

फालतू रबड़ होने के कारण कीमत में जो कमी आई है और साथ ही मंत्रालय की अपीलों के बावजूद विनिर्माता उद्योग अधिक मात्रा में माल उठाने में जो असमर्थ रहा है, उस समस्या का हल निकालने के बारे में सरकार गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है। मुझे आशा है कि इस सम्बन्ध में शीघ्र ही निर्णय ले लिया जायेगा।

दिल्ली में कुमारी मणिबेन पटेल, संसद् सदस्य की कथित गिरफ्तारी के बारे में विशेषाधिकार का प्रश्न

QUESTION OF PRIVILEGE RE. ALLEGED ARREST OF KUMARI MANIBEN PATEL, M. P. IN DELHI

गृह मन्त्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ओम मेहता) : दिल्ली प्रशासन से प्राप्त एक रिपोर्ट के अनुसार 12 दिसम्बर, 1975 को कुछ व्यक्तियों द्वारा चांदनी चौक में आपातस्थिति के विरुद्ध प्रदर्शन करने के सम्बन्ध में दिल्ली पुलिस को पहले से सूचना प्राप्त हुई थी। वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिये उचित प्रबन्ध कर दिये गये। लगभग $4\frac{1}{2}$ बजे कुछ लोग अनेक दल बनाकर उस क्षेत्र में आये और उन्होंने आपातस्थिति विरोधी नारे लगाये। प्रदर्शनकारियों के नारों को वहां जमा भीड़ ने भी सुना जिसके फलस्वरूप तनाव पैदा होना शुरू हुआ। इसके बाद पुलिस ने निवारक उपायों के रूप में कुछ प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। तनाव जारी रहा। कुमारी मणिबेन पटेल, संसद् सदस्य, को भी उस उपद्रव के स्थान के निकट खड़ी देखा गया। वहां तैनात पुलिस अधिकारियों ने अनुभव किया कि यदि कुमारी मणिबेन पटेल को वहीं रहने दिया गया तो शायद वह आन्दोलित भीड़ के बीच में आ जायें और उन्हें कोई शारीरिक हानि पहुंचे। अतः उनकी सुरक्षा के हित में उन्हें एक पुलिस जीप में कश्मीरी गेट पुलिस स्टेशन ले जाया गया। पुलिस स्टेशन में उन्हें थोड़े से विश्राम की सुविधा दी गयी। भीड़ कम होने तथा क्षेत्र में सामान्य स्थिति आने पर उन्हें पुलिस गाड़ी में उनके निवास स्थान ले जाया गया।

कुमारी मणिबेन पटेल को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया।

Kumari Maniben Patel (Sabarkantha) : When I was taken to the police station, I was asked to state my name. age and identificai on marks details which are noted only when somebody is arrested. If I was not arrested then why was I taken in a police jeep and why the armed policemen escorted me ?

Mr. Speaker : They say that you were not arrested at all.

श्री एच० एम० पटेल (ढंढूका) : प्रतीत होता है कि मंत्री ने मामले को गम्भीरता से नहीं लिया है। उन्होंने पुलिस के इस बयान को स्वीकार कर लिया है कि यह सदस्य की सुरक्षा और संरक्षण के लिये किया गया था। यदि ऐसा उनकी सुरक्षा के लिए किया गया था तो अन्य प्रश्न पूछने की तब तक कोई आवश्यकता ही नहीं थी जब तक उन्हें यह आशंका न होती कि कोई गलत पहचान हुई है।

श्री दशरथ देव (त्रिपुरा पूर्व) : इसकी जांच की जानी चाहिए। किसी व्यक्ति के गिरफ्तार किये जाने के बाद शरीर के चिन्हों का पता लगाना पड़ता है। अन्यथा यह प्रश्न पैदा ही नहीं होता है। इस बात की जांच होनी चाहिए कि क्या माननीय सदस्या को गिरफ्तार किया गया अथवा उन्हें उनकी सुरक्षा के लिए ही पुलिस जीप में ले जाया गया था।

अध्यक्ष महोदय : आपको याद होगा कि पिछली बार मैंने मंत्री महोदय को जांच करके रिपोर्ट देने को कहा था। उन्होंने रिपोर्ट दे दी है जो सभा के समक्ष है। यदि तथ्यों के बारे में कोई सन्देह है तो हम कुछ नहीं कर सकते।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : इसे विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपने लायक नहीं है।

श्री एच० एन० पटेल : वक्तव्य से स्पष्ट पता चलता है कि यह वक्तव्य सही नहीं है। वक्तव्य के अनुसार पुलिस ने कुमारी मणिबेन पटेल को गड़बड़ी वाले स्थान के निकट देखा और उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस ने उन्हें वहां से ले जाने के लिए सोचा। यदि ऐसा था तो उन्हें जीप में ले जाने और उनसे विभिन्न प्रश्न पूछने की क्या आवश्यकता थी ? कुमारी मणिबेन पटेल की शिनाखत के बारे में कोई सन्देह नहीं होना चाहिए क्योंकि वह कई वर्षों से इस शहर में है और पुलिस उन्हें अच्छी तरह जानती है।

अध्यक्ष महोदय : हमें इस मामले को और आगे नहीं बढ़ाना चाहिए क्योंकि मंत्री ने इस बात से इन्कार किया है कि उन्हें गिरफ्तार किया गया था। अतः हमें इस मामले को यहीं समाप्त कर देना चाहिए।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति—जारी

COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES—*contd.*

पदावधि का विस्तारण

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 331ख के उप-नियम (2) को, जहां तक यह अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के वर्तमान सदस्यों की पदावधि बढ़ाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर लागू होता है, निलम्बित करती है ।"

वर्तमान समिति की कार्यावधि समाप्त हो रही है और अगली बैठक अगले सत्र में होगी । अतः इस अन्तराल से बचने के लिए यह सोचा गया है कि वर्तमान समिति की कार्यावधि दो महीने बढ़ाई जाये ताकि अगले मार्च/अप्रैल तक चुनाव हो सकें और बैठक बुलाई जा सके ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 331ख के उप-नियम (2) को, जहां तक यह अनुचचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के वर्तमान सदस्यों की पदावधि बढ़ाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर लागू होता है, निलम्बित करती है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री ओम मेहता : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति में लोक सभा के वर्तमान सदस्यों की पदावधि 31 मार्च, 1976 तक और बढ़ाती है ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति में लोक सभा के वर्तमान सदस्यों की पदावधि 31 मार्च, 1976 तक और बढ़ाती है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री ओम मेहता : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा को सूचित करती है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति में लोक सभा के वर्तमान सदस्यों की पदावधि 31 मार्च, 1976 तक और बढ़ा दी गई है और राज्य सभा से सिफारिश करती है कि उक्त समिति के साथ राज्य सभा के सदस्य सहयोजित करने के बारे में वह ऐसी कार्यवाही करे, जैसा वह उचित समझे।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा को सूचित करती है कि अनुचचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति में लोक सभा के वर्तमान सदस्यों की पदावधि 31 मार्च, 1976 तक और बढ़ा दी गई है और राज्य सभा से सिफारिश करती है कि उक्त समिति के साथ राज्य सभा के सदस्य सहयोजित करने के बारे में वह ऐसी कार्यवाही करे, जैसा वह उचित समझे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

लौह अयस्क खान और मैंगनीज अयस्क खान श्रम कल्याण निधि विधेयक

IRON ORE MINES AND MANGANESE ORE MINES LABOUR WELFARE FUND BILL

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि लौह अयस्क खानों और मैंगनीज अयस्क खानों में नियोजित व्यक्तियों के कल्याण की अभिवृद्धि के क्रियाकलापों के वित्त पोषण का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लोह-अयस्क खानों और मैंगनीज अयस्क खनों में नियोजित व्यक्तियों के कल्याण की अभिवृद्धि करने के क्रियाकलापों के वित्तपोषण का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

श्री रघुनाथ रेड्डी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

लौह अयस्क खान और मैंगनीज अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर विधेयक

IRON ORE MINES AND MANGANESE ORE MINES LABOUR WELFARE CESS FUND

श्रम मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि लौह-अयस्क खानों और मैंगनीज अयस्क खानों में नियोजित व्यक्तियों के कल्याण की अभिवृद्धि करने के क्रियाकलापों के वित्तपोषण के लिये लौह-अयस्क और मैंगनीज अयस्क पर उपकर का उद्ग्रहण और संग्रहण करने का और उनसे सम्बन्धित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लौह-अयस्क खानों और मैंगनीज अयस्क खानों में नियोजित व्यक्तियों के कल्याण की अभिवृद्धि करने के क्रियाकलापों के वित्तपोषण के लिये लौह-अयस्क और मैंगनीज अयस्क पर उपकर का उद्ग्रहण और संग्रहण करने का और उनसे सम्बन्धित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

श्री रघुनाथ रेड्डी : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : औद्योगिक विवाद अधिनियम के बारे में मेरा एक निवेदन है। . . . (**व्यवधान**) . . . . हम मंत्री महोदय से एक वक्तव्य की मांग करते रहे हैं। मंत्री महोदय मनीला गये हैं उपमंत्री महोदय भी चले गये हैं। हम औद्योगिक सम्बन्धों के बारे में एक वक्तव्य दिये जाने की मांग कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय अपने सहयोगी को यहां रहने के लिये कहें।

(श्री रघुनाथ रेड्डी) : वाद-विवाद के दौरान ऐसे प्रश्नों को उठाया जा सकता है। . . **(व्यवधान)** . . .

डा० रानेन सेन (बारसाढ़) : अनेक श्रमिक परामर्शदात्री समितियों में मैं कार्य करता हूं। हमने वाणिज्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों की उपस्थिति की मांग की थी, क्योंकि वहां पर पटसन, वस्त्र तथा कुछ और उद्योगों पर चर्चा हो रही थी। इस सम्बन्ध में श्रम मंत्रालय कुछ नहीं कर सकता।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं चाहता हूं कि वाणिज्य मंत्री आज ही बतायें कि शीर्ष निकाय की बैठक में क्या निर्णय हुआ था।

औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक

THE INDUSTRIAL DISPUTES (AMENDMENT) BILL

श्रम मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पास किये गये रुप में, विचार किया जाये ।"

पिछले कुछ समय से औद्योगिक गृहों में जबरी छुट्टी छटनी तथा काम बन्दी किये जाने की घटनाओं की वृद्धि हुई है । सरकार इससे अत्यन्त चिन्तित है । उसका समाधान निकालने के लिए निकाय मामला राष्ट्रीय शीर्ष निकाय एवं राज्य श्रम मन्त्रियों के सम्मेलन में रखा गया था । राष्ट्रीय शीर्ष निकाय ने अपनी 13 अगस्त, 1975 की बैठक में आग्रह किया कि उद्योगों में एकतरफा तालाबन्दी न की जाये तथा छटनी और काम बन्दी न की जाये ।

राष्ट्रीय शीर्ष निकाय की 10 जनवरी, 1976 की बैठक में प्रधान मन्त्री ने कहा है कि कई बार नियोजकों ने शीघ्र से शीघ्र अधिक लाभ अर्जित करने के लिये बड़ा सकीर्ण दृष्टिकोण अपनाया है । जबरी छुट्टी, छटनी और काम बन्द करने का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यदि ये मामले शान्तिपूर्ण रीति से तय न किये गये तो कठोर कार्यवाही की आवश्यकता पड़ सकती है ।

आपात स्थिति की घोषणा के पश्चात् हड़तालों से जनदिवसों की क्षति के कम मामले हुए हैं । जुलाई से दिसम्बर, 1975 तक बंगाल में 2,21,209, महाराष्ट्र में 41,521, उत्तर प्रदेश में 19,895, गुजरात में 8,199, केरल में 6,803 राजस्थान में 4527 और दिल्ली में 1,275 कार्मिकों को जबरी छुट्टी दी गई । सभी राज्यों से पूरी जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है । राज्यों में निजी उद्योगों में छंटनी के अधिक मामलों की जानकारी भी मिली है ।

इस समय, जबकि अधिक उत्पादन की आवश्यकता है, जबरी छुट्टी, छटनी तथा काम बन्दी किया जाना प्रबन्धक वर्ग द्वारा जानबूझकर उत्पादन घटाकर मूल्यों को ऊचे स्तर पर बनाये रखने के लिये की गई कार्यवाही है । उद्योगों के कु-प्रबन्ध, निधियों का अन्यत्र उपयोग करने, और अक्षमता के कारण कारखाने बन्द हो जाते हैं । इस समय यद्यपि अधिनियम में कार्यबन्द किये जाने के लिये 60 दिन के नोटिस की आवश्यकता है परन्तु उसके लिये बताये गये कारणों की पूर्व परीक्षण की व्यवस्था नहीं है । किन्तु यह व्यवस्था सन्तोषजनक नहीं है । जो भी उत्पादन में बाधा पैदा करता है वह राष्ट्रीय हित के विरुद्ध कार्य करता है । कर्मचारियों की कठिनाइयों को समाप्त करने और उत्पादन बढ़ाने के लिये यह आवश्यक है कि उत्पादन और उत्पादकता का उच्च स्तर बनाये रखा जाये और नियोजकों द्वारा जबरी छुट्टी तथा छटनी और काम बन्दी पर कुछ उचित प्रतिबन्ध लगाया जाये ।

इस विधेयक में जबरी छुट्टी, छटनी और काम बन्द किये जाने के लिये सरकार की पूर्व अनुमति की आवश्यकता है । विधेयक में बन्द किये गये कारखानों को फिर से चालू करने की भी व्यवस्था है । कार्यान्विति निर्धारित अवधि में किए जाने तथा प्रक्रिया को कम जटिल बनाने की भी व्यवस्था है । जिन कम्पनियों में 51 प्रतिशत पूंजी केन्द्र सरकार अथवा संसद् द्वारा स्थापित निगमों की लगी है उनमें केन्द्र सरकार की मंजूरी आवश्यक है ।

इस विधेयक को अधिकांश फैक्ट्रियो खानों एंव बागानों पर लागू किये जाने की व्यवस्था है । 300 से कम कार्मिको को रखने वाले कारखानों को इससे बाहर रखा गया है ।

हमारा अनुभव है कि लघु उद्योग अधिक उत्तरदायित्व महसूस करते हैं । इस विधेयक में कम से कम उपबन्ध विवादास्पद हैं इसलिये मैं माननीय सदस्यों से इसे बिना वाद विवाद के पारित करने का आग्रह करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये ।"

श्री एस० एम० बनर्जी : (कानपुर) कार्मिकों की छटनी के बहुत से मामले हुए हैं और मन्त्री महोदय हमें इसे बिना वाद-विवाद के पास करने को कह रहे हैं ।

श्री नरसिंह नारायण पाँडे : (गोरखपुर) इसे कम से कम चार घण्टे दिये जायें । यदि आज सम्भव न हो तो इसे कल लिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय इसे आज ही लेना पड़ेगा । आज कुछ समय अधिक दिया जा सकता है ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : (सीरमपुर) मुझे खेद है कि कार्मिकों के बोनस को प्रायः समाप्त करने के बाद प्रस्तुत विधेयक द्वारा कम्पनियों को जबरी छुट्टी और काम बन्द किये जाने के मामले में ढील दी जा रही है । उन पर प्रभावी कार्यवाही नही की जा रही ।

प्रधान मन्त्री के आश्वासन के बावजूद केवल एक ही संगठन को, जो कि सरकार की नीतियों का समर्थन करता है, आमन्त्रित किया गया है । उसमें भी मन्त्री महोदय ने यहां तक कह दिया कि जो लोग सरकारी नीति का पूरी तरह समर्थन नहीं करते वे सभा की बैठक छोड़ कर जा सकते हैं । खेद है कि आपने जबरी छुट्टी, छटनी और कार्य बन्द किये जाने के बारे में नियोजकों पर कोई रोक नहीं लगाई है । कोई दण्ड की व्यवस्था नहीं की गई है । नियोजको को जबरी छुट्टी, छटनी उनकी अथवा कार्य बन्द किये जाने की केवल पूर्व सूचना मात्र देनी है । वे लोग सूचना दे देंगे और आपके विभाग उन्हें अनुमति दे देंगे । 'शीर्ष निकाय' की अगस्त की बैठक में निर्णय हुआ था कि एकतरफा जबरी छुट्टी नहीं की जायेगी । जो फैक्टरियां कुप्रबन्ध के कारण बन्द पड़ी हैं उन्हें पुनः चालू करने के लिये क्या कोई कार्यवाही की गई है । नियोजक जानबुझ कर ऐसे हालात पैदा कर देते हैं कि फैक्ट्रियां बन्द करनी पड़ती हैं, जिन्हें वे चाहते हैं कि सरकार ले ले । सरकार वही कार्यवाही करती है जो वे लोग चाहते हैं । जबरी छुट्टी, छटनी आदि रोकने की सरकार की हार्दिक इच्छा नहीं है । अन्ततः सरकार एकाधिकार-गृहों और नियोजकों के हितों का ही संरक्षण करती है । श्रमिकों के हितों का नहीं । कार्मिकों के प्रति दिखाई गई सहानुभूति केवल शाब्दिक है । मन्त्री महोदय ने दावा तो यह किया है कि वह नियोजकों के जबरी छुट्टी, छटनी तथा कार्य बन्द किये जाने के अधिकार पर कुछ प्रतिबन्ध लगायेंगे । परन्तु इस विधेयक में इस दिशा में किसी प्रतिबन्ध की व्यवस्था नहीं की गई है ।

1,000 रुपए जुर्माना और अथवा एक महीने के कारावास की व्यवस्था से हम सन्तुष्ट नहीं हैं । कौनसा ऐसा नियोजक है जो थोड़ा जुर्माना देकर हजारो कार्मिकों की छटनी नहीं करना चाहेगा ।

[श्री दीनेद भट्टाचाय]

भविष्य निधि तथा अन्य सभी मामलों में न्यायालय कुछ जुर्माना लगा देते हैं और यह लोग उसे अदा कर देते हैं। इसीलिए मैंने कहा है कि आपने नियोजकों को छूट दे दी है। मैंने एक भी ऐसा मामला नहीं देखा जिसमें विभाग ने एक भी जबरी छुट्टी, कार्य बन्द किये जाने या छटनी के मामले को रोका है।

यह विधेयक बैंकों, जीवन बीमा निगम, इण्डियन एयरलाइन्स आदि पर लागू नहीं होता। श्री रेड्डी मार्क्स और लेनिन की बात करते हैं, परन्तु जब श्री लाल ने इण्डियन एयर लाइन्ज में तालाबन्दी की थी तब आपका मार्क्सवाद कहां था। आज वही सरकार यह दावा करती है कि वह जबरी छुट्टी, छटनी और कार्य बन्द किये जाने को रोकेगी।

आपने 300 की सख्या निर्धारित की है। विवाद अधिनियम में भी 50 व्यक्तियों की संख्या निर्धारित है। इस पर पुनर्विचार करके इसे 50 व्यक्तियों तक निर्धारित की जाये। कर्मचारियों को बड़ी सरलता से निकाला जा सकेगा और सरकार कुछ भी नहीं कर पायेगी।

आपने उल्लेख किया है कि 'बदली' और अस्थायी कर्मचारियों को इस विधेयक से लाभ नहीं पहुंचेगा। श्री रेड्डी को पश्चिम बंगाल की पटसन मिलों की अवस्था की जानकारी है और इनके बारे में सिफारिश की गई थी कि 'बदली' और नैमित्तिक श्रमिकों को यही सुविधा दी जाये। इस प्रकार की व्यवस्था के कारण हजारों 'बदली' तथा अस्थायी कर्मचारियों, को लाभों से वंचित रहना पड़ेगा। दस पन्द्रह वर्ष तक कार्य करने के बाद भी कर्मचारी अस्थायी हैं अतः उन्हें इस विधेयक के अन्तर्गत कोई लाभ नहीं मिलेगा।

पश्चिम बगाल में एक विधेयक पारित किया गया था जिसके अनुसार जो नियोजक फैक्टरी बन्द करेगा उसे तीन महीने की पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। पश्चिम बंगाल में जबरी छुट्टी और छटनी के 2,21,209 मामले हुए हैं, जोकि देश में सर्वाधिक हैं। इस बारे में राज्य द्वारा पारित कानून को राष्ट्रपति की सहमति नहीं मिली। क्या सरकार बतायेगी कि इसका क्या कारण है ?

हिन्दुस्तान मोटर्ज तथा प्रीमियर मोटर्स मोटर कारें बनाते हैं। पिछले वर्ष हिन्दुस्तान मोटर्स बारी बारी से जबरी छुट्टी करते थे। जब मामला मुख्य मन्त्री के पास पहुंचा तो कम्पनी के नाम बिक्री कर का 4,000 रुपया कम कर दिया गया। श्री पाई ने केन्द्र से उन कारों के लिये छुट दी गई जिन्हें टैक्सियों के रूप में उपयोग में लाया जायेगा। सरकार ने 4,000 से 6,000 रुपये की रियायत इस लिये दी ताकि जबरी छुट्टी नहीं की जाये। परन्तु जबरी छुट्टी में कोई अन्तर नहीं आया। प्रीमियर मोटर्ज में भी वैसी ही स्थिति है। सरकार को कम्पनियों पर इसे कार्यान्वित करने के लिये दबाव डालना चाहिए।

इण्डियन तम्बाकू में 1,100 कार्मिकों की छटनी कर दी गई है। सरकार की ओर से उन्हें कोई संरक्षण नहीं दिया गया। यदि सरकार 300 की संख्या पर कायम रहती है तो इससे विधेयक से कुछ भी लाभ नहीं पहुंचेगा। यदि नियोजक नियम का उल्लंघन करता है तो उसे जेल में डाला जाये।

मैं पुनः सुझाव देता हुं कि जबरी छुट्टी तथा ताला बन्दी और कारखाने बन्द किये जाने पर पुनः विचार किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : दो बजे वाद-विवाद समाप्त कर दिया जायेगा। तब मन्त्री महोदय उत्तर देंगे।

Shri Ram Singh Bhai (Indore) : A study of this Bill reminds me of a common proverbial saying, much ado about nothing' because for quite a long time we had been hearing that Government is proposing to come forward with a Bill for prohibiting lockouts, lay offs and retrenchment. It was also stated by the Prime Minister on many occasions that for increasing production, all these things should be discontinued. But the provisions of the Bill are very disappointing. It has been provided in the Bill that if any employer wanted to take recourse to lock-out retrenchment or lay off, he will have to seek prior permission of the Government three months advance. But as a matter of fact, it is not going to serve any important purpose because the punishment provided for not doing so is negligile and not deterrant.

It was in 1953, when Industrial Disputes Act was amended and it was provided that law relating to lay off would be applicable to the factories engaging more than 50 workers. Now in the proposed amendment, this limit was being raised to 300. This means that roughly more than 60 per cent of the workers will not be covered. This is something very strange and pinching. I will request the hon. Minister to reconsider the same and try to retain the provision of 1953.

Secondly, I want to draw the attention of the House towards 'badli' provision and the case of casual labour. Why these have been excluded from the purview of the Bill ? There are thousands of workers who are working there for the last so many years. That wey all of them will be deprived of the benefits of the provisions of this Bill.

Regarding the question of retrenchment. I may submit that it is regrettable that employees are not abiding by the rules and regulations laid down in this regard. There are instances where people have been retrenched without any compensation. I have got a very long associations with labour unions and organisations and on the basis of my experience I can say that now-a-days the labour leaders are playing double standards. On one hand they try to have the benefits from the Government side and on the other hand they try to safeguard the interests of employers also. The people who are the Members of the apex body pose that they are safeguaridng the interests of labour class but actually they are interested for safegurding the interests of capitalists like Birla and Tata. I can quote a number of such incidents. Where emergency has been used to harm the interests of labour class. The labbourers have been retrenched arbitrarily. I will request the Government, the Labour Minister and the Prime Minister to look into it and take steps to stop the exploitation of labourers.

डा० रानेन सेन (बारसाट) : यद्यपि यह विधेयक काफी देर से लाया गया है, फिर भी यह समय की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता परन्तु फिर भी मैं इसका समर्थन करता हूं क्योंकि कार्मिक संघों के प्रतिनिधियों के शीर्षस्थ निकाय द्वारा जबरन छुट्टी, एककों को बन्द करने तथा छंटनी आदि पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने की मांग की गई थी। यद्यपि प्रस्तुत विधेयक में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है परन्तु फिर भी किसी प्रकार का उपबन्ध न होने से तो यह अच्छा ही है। मैं समझता हूं कि कार्मिक संघों के प्रतिनिधि तथा कार्यकर्ता इस बात का ध्यान रखेंगे कि विधान के उपबन्धों को सही ढंग से लागू किया जाये। सरकार को यह अच्छी तरह मालूम है कि नियोजक किस प्रकार के हथकण्डे अपना कर भागीदारों तथा मजदूर वर्ग को धोखा देते हैं। किस प्रकार वह सम्पूर्ण फर्म का दिवालया निकाल, छंटनी कर देते हैं। यह मन्त्री महोदय को मालूम ही है। इस सम्बन्ध में नेशनल तम्बाकू कम्पनी कलकत्ता, लक्ष्मीरत्न काटन मिल्ज, जयपुर उद्योग, कानपुर जूट, पलाई वुड फैक्टरी आदि अनेक फर्मों के उदाहरण दिये जा सकते हैं जिन के बारे में समय-समय पर मजदूर संघों के नेताओं द्वारा सरकार को ज्ञापन दिये गये हैं।

[डा रानेन सेन]

मैं यह स्पष्ट कर दूं कि नियोजकों द्वारा राष्ट्रीय शीर्षस्थ संकाय तथा राज्य सरकारों के विभिन्न नियमों का उल्लंघन करने वाली कहानी काफी लम्बी तथा घृणित है। परन्तु यह विचित्र बात है कि आपात स्थिति की उद्घोषणा लागू होने के बाद आज आठ महीने का समय निकल गया है परन्तु अभी भी एककों को जबरी बन्द करने, उनमें जबरन छुट्टी करने तथा छंटनी करने का कार्य जारी है। इस प्रकार की कार्यवाहियां सब से अधिक पश्चिम बंगाल के इंजीनियरिंग उद्योगों मे हो रही हैं। तथ्य तो यह है कि नियोजक न केवल कारखाने ही बन्द कर देते हैं अपितु कई बार तो वह मजदूरी देने से भी इन्कार कर देते हैं। परन्तु सब से आश्चर्य की बात यह है कि सरकार इन परिस्थितियों में भी चुप्पी साधे रहती है। राष्ट्रीय शीर्षीथ निकाय ने अनेक बार यह सिफारिश की है कि दोषी नियोजकों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए परन्तु प्रस्तुत विधेयक मे इसकी प्रयाप्त व्यवस्था नहीं की गई है।

इस विधेयक में अनेक त्रुटीयां हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि इस विधेयक को उस दिन से लागू माना जायेगा जो दिन सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा निर्धारित करेगी। ऐसी व्यवस्था से अस्पष्ट स्थिति उत्पन्न हो गई है। मेरे विचार में विधेयक को मूतलक्षी प्रभाव यथा 26 जून 1975 से लागू माना जाना चाहिए अन्यथा यह प्रभावशाली नहीं होगा।

दूसरे इस विधेयक को केवल उन्हीं एककों पर लागू करने की व्यवस्था है जिनमें 300 से अधिक कर्मचारी कायरत हैं परन्तु 50 मजदूरों वाले से स्थानों की इस विधेयक की परिधि में न लाने का क्या औचित्य है यह बात समझ में नहीं आती। इस प्रकार बदली या नैमिश्रिक मजदूरों को इस विधेयक के कार्यक्षेत्र से बाहर रखने का कोई औचित्य भी समझ नहीं आता।

तथ्य तो यह है कि विधेयक में कार्मिक संघो को महत्व नहीं दिया गया है। राज्य सरकारों को हीं सर्वोच्च स्थान दिया गया है और उन्हें ही यह निर्णय करने का अधिकार दिया गया है कि कोई उद्योग सीजनल हैं या नहीं। राज्य सरकारों को इस प्रकार का अधिकार देना अच्छी बात नहीं है। स्थिति ऐसी भी हो सकता है जब कि राज्य सरकारें सम्पूर्ण मामले का रुख ही बदल दे तथा उसे असफल बना दें।

अब मैं एक बात विधेयक में विद्यमान दंडात्मक उपबन्धो के बारे में कहना चाहता हूं। उन्हें देखने पर मालूम होता है कि सरकार ने इनकी व्यवस्था करते समय नियोजकों के हितों को अधिक ध्यान में रखा है। दण्ड के बारे में कहा गया है कि यह एक महीने तक का हो सकता है या न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट की बैठक चलने तक ही यह दण्ड चल सकता है। चाय बागानों में मजदूरों के जो मामले हमारे समक्ष आये यदि हम उन सभी अनुभवकों को दृष्टिगत रखे तो यह निःसंकोच कहा जा सकता है कि इन दण्डों को और अधिक कड़ा बनाने की आवश्यकता थी, परन्तु इस ओर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया है।

श्री सी० एम० स्टीफन (मवतुपुजा) : यह प्रसन्नता की बात है कि शीर्षस्थ निकाय की सिफारिशों के आधार पर तैयार किये गये इस विधेयक पर हमें विचार करने का अवसर प्राप्त हुआ है । शीर्षस्थ निकाय की जिस बैठक में श्रम मंत्री तथा प्रधान मंत्री उपस्थित थे उसमें यह सिफारिश एकमत से की गई थी कि छंटनी, जबरन छुट्टी तथा एककों को बंद करने पर कड़ा प्रतिबंध लगाया जाना चाहिये । प्रस्तुत विधेयक के माध्यम से पहले के अधिनियम की त्रुटियों को दूर करने का प्रयत्न किया गया है । परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि यह विधेयक बिलकुल पूर्ण है या इसके माध्यम से हमें यह सब कुछ मिल गया है जिस के लिए हम संघर्षरत थे । वैधानिक प्रक्रिया द्वारा श्रमिक वर्ग को प्रगति पथ की ओर अग्रसर करने की दिशा में यह एक महत्वपूण कदम है । इससे पहले औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत कुछ शर्तों के साथ जबरी छुट्टी तथा छंटनी की जा सकती थी । अब जो व्यवस्था की गयी है उसके अन्तर्गत सरकार की अनुमति के बिना जबरन छुट्टी, छंटनी तथा तालाबंदी नहीं की जा सकती । इससे पहले औद्योगिक विवाद अधिनियम में इस प्रकार की कोई भी व्यवस्था नहीं थी ।.

अब वैधानिक प्रक्रिया द्वारा मजदूरों के हाथों में वह हथियार आ गया है जिसके द्वारा वे पक्षपातपूर्ण जबरन छुट्टी, छंटनी तथा तालाबंदी के विरुद्ध अपनी लड़ायी लड़ सकेंगे । विपक्ष के सदस्य इसमें जुर्माने सहित कारावास की व्यवस्था भी करना चाहते हैं, लेकिन सरकार ने इस दिशा में इन प्रावधानों को रख कर जो कुछ भी किया है वह भी महत्वपूर्ण है ।

यह एक अस्थायी उपाय नहीं है । यह औद्योगिक विवाद अधिनियम का एक अभिन्न अंग बन चुका है ।

पहले अधिनियम में जबरन छुट्टी के मामले में एक साल की लगातार सेवा की शर्त थी । इस अधिनियम के अनुसार अब इस प्रकार की कोई शर्त नहीं है ।

नैमित्तिक मजदूर के मामले में छंटनी का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं हो सकता । जबरन छुट्टी के मामले में ही यह प्रश्न उत्पन्न होता है । यह हो सकता है कि **बदली** सम्बन्धी प्रावधान का दुरुपयोग किया जाता हो । लेकिन प्रश्न यह है कि क्या नैमित्तिक मजदूर स्थायी रोजगार के लिये दावा कर सकता है ? काम न होने पर नैमित्तिक मजदूर को ही कहा जायेगा कि तुम्हारे पास कोई काम नहीं है । हमें इसी बुनियादी प्रश्न पर विचार करना है ।

मंत्री महोदय के तर्क का अर्थ यही हो सकता है कि इस देश में बड़े पैमाने पर जबरन छुट्टी, छंटनी तथा तालाबंदी हो रही है । मेरे विचार में बात ऐसा नहीं है ।

श्री रघुनाथ रेड्डी : आपका राज्य सौभाग्यशाली हो सकता है अन्य राज्य इतने सौभाग्यशाली नहीं हैं ।

श्री सी०एम० स्टीफन : किसी विशेष वर्ग के कर्मचारियों के लिए जब इस प्रकार के कड़े उपाय किए जा रहे हैं तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वित्तिय क्षमता प्राप्त मालिक ही 300 से अधिक मजदूरों वाले कारखानों को चला रहे हैं । अतः उनके विरुद्ध एक सख्त रवैया अपनाया जा सकता है। इनकी संख्या कम होनी चाहिए । इस सम्बन्ध में यदि कोई संशोधन आए तो मैं उसका समर्थन करुंगा ।

श्री सी० एम० स्टीफन]

मूल अधिनियम के अन्तर्गत यदि किसी कर्मचारी के अपने मालिक से अपना पैसा लेना हो उसे सरकार के पास आवेदन पत्र भेजना होगा और सरकार इस राशि की वसूली राजस्व वसूली अधिनियम के अन्तर्गत करेगी और इस पैसे को कर्मचारी को देगी। आपने जो कुछ कहा है, उससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सरकार की अनुमति द्वारा छंटनी अथवा जबरन छुट्टी की दशा में कर्मचारी नौकरी पर बरकरार समझा जायेगा और उसे वह पैसा दिया जाना चाहिये। लेकिन मुझे वह पैसा किस प्रकार मिलेगा। सरकार इस पैसे को राजस्व वसूली अधिनियम के अन्तर्गत वसूल करेगी। आप मुझे धारा 36(ग) की उपधारा 3 के अन्तर्गत क्यों सुविधायें नहीं देते ? आप धारा 36 (ग) को उचित ढंग से संशोधित नहीं कर सकते ? उस पैसे को वसूल करने का क्या तरीका है ।

पैसे को वसूल करने सम्बन्धी प्रावधान में कमियां हैं। आप एक वर्ग विशेष की रक्षा कर रहे हैं। हमने इस सम्बन्ध में शीर्षस्थ स्तर की एक बैठक में भी बात की थी। हमने कुछ प्रतिष्ठानों के नाम बताये हैं और आंसुका के अन्तर्गत कार्यवाही करने की सिफारिश भी की है। मैंने कुछ कारखानों के बारे में जानकारी प्राप्त की है और मैं समझता हूं कि इन कारखानों को पुनः खोलने का आदेश दिया जाये। संसद ने आपको ऐसी शक्तियां प्रदान की हैं जिनके द्वारा आप इस प्रकार की स्थिति से निपट सकते हैं। आपातकालीन स्थिति के दौरान कर्मचारियों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिये।

आपने अपने हाथ में असाधारण अधिकार ले लिये हैं। अब प्रश्न यह है कि उन्हें किस प्रकार कार्यान्वित किया जाये। यदि कोई अधिकारी तीन अथवा दो महीनों के अन्दर स्वीकृति नहीं लेता तो यही समझा जायेगा कि स्वीकृति ले ली गई है। लेकिन इस प्रकार कानून भी अलिखित रूप में रहना चाहिये कि यदि स्वीकृति दी जा चुकी हो तो उस अधिकारी को सेवा से हटाया गया समझा जाये। मैं सरकार को बधाई देता हूं (**व्यवधान**)।

श्री रघुनाथ रेड्डी : आप मुझ से वैसा करने की आशा नहीं रखते (**व्यवधान**)।

श्री सी० एम० स्टीफन : मैं सरकार को इस कानून को लाने के लिये बधाई देता हूं। मुझे आशा है कि सरकार को दी गयी शक्तियों द्वारा कर्मचारियों के हितों की रक्षा होगी। इन शब्दो के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

(Mr. Deputy Speaker *in the Chair*)

श्री इराज्मु-द-सेकैरा (मारमागोआ): मेरे मित्र श्री स्टीफन ने जो आशा व्यक्त की है, मैं भी वही आशा रखता हूं।

श्रम मन्त्री की यह बात सुनकर मैं बहुत खुश हुआ हूं कि जिस कानून को लागू करने में कठिनाई अनुभव हो वह अच्छा कानून नहीं होता।

विधेयक के खण्ड 3 में उपबन्ध किया गया है कि यदि कोई उपक्रम इस अधिनियम के प्रारम्भ से पहले बन्द हो गया हो तो सरकार को यह अधिकार प्राप्त होगा, यदि इसका निष्कर्ष है कि इसे बन्द करने के कारण अपरिहार्य नहीं है, कि वह उसे खोलने का आदेश दे ताकि मजदूरों के हितों की रक्षा की जा सके । यह आशा कैसे की जा सकती है कि ऐसा उपक्रम केवल एक आदेश पर खोल दिया जायेगा ताकि मज़दूरों के हितों की रक्षा की जा सके ? अत: यह एक भ्रामक उपबन्ध है । बहुत अच्छा होता यदि यह उपबन्ध किया जाता कि सरकार हस्तक्षेप करके उपक्रम को अपने हाथ में ले लेगी । मजदूरों के लिये यह एक अच्छी सुरक्षा होती ।

एक मुख्य उपबन्ध यह है कि जिस उपक्रम में 300 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं, बिना सरकार की पूर्व स्वीकृति के किसी कर्मचारी की छटनी नहीं की जा सकती । परन्तु उपबन्ध एक दिखावा मात्र रह जाता जबकि वहां यह उपबन्ध किया गया है कि यदि सरकार अपना निर्णय 3 मास के अन्दर नहीं देती तो अनुमति दी गई मानी जायेगी । यदि इस उपबन्ध को प्रभावशाली बनाना है तो यह उपबन्ध भी किया जाना चाहिये कि सरकार समय सीमा के अन्दर अपना निर्णय अवश्य दे दे ।

यह उपबन्ध भी किया गया हैं कि वैकल्पिक रोज़गार दिए जाने पर कर्मचारी को जबरन छुट्टी पर भेजा गया नहीं माना जायेगा और यह निश्चय नियोकता करेगा कि वैकल्पिक रोज़गार उपयुक्त है अथवा नहीं । इस सम्बन्ध में कर्मचारियों को यह सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिये कि उसके वैकल्पिक रोज़गार को उपयुक्त न मानने पर उस पर कोई सरकारी अधिकारी तुरन्त निर्णय दे । इससे श्रमिक विवाद समाप्त होंगे और उन्हें तंग किया जाना बन्द होगा ।

भविष्य निधि अधिनियम में उपदान और भविष्य निधि की पूरी अदायगी के लिए सेवाकाल की एक सीमा रखी गई हैं । अब जबकि सरकार छटनी को अधिक सख्त बनाने जा रही है, तब वह यह उपबन्ध करे कि छटनी किये जाने की दशा में उपदान और भविष्य निधि के लिये आवश्यक नियम लागू नहीं होंगे । अत: यह विधेयक पहले के समान अपर्याप्त है और इससे कर्मचारियों को कोई लाभ नहीं होगा ।

श्री चपलेन्दु भटाचार्य (गिरिडीह) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । इस विधेयक को बहुत पहले पेश किया जाना चाहिये था ।

इस विधेयक में यह कमी है कि इसके अन्तर्गत वे मामले नहीं आते जिसके अन्तर्गत उपक्रम कर्मचारियों की संख्या में कमी कर सकते हैं । 1952 में मुंगेर सिगरेट कारखाने में 3300 मजदूर काम करते थे जो 18 करोड़ 60 लाख सिगरिटें प्रति मास तैयार करते थे । इसी कारखाने में 1974 में 2100 मजदूर काम करके प्रतिमास 46 करोड़ 40 लाख सिगरिटें तैयार करते थे । अत: एक तिहाई संख्या कम करके भी उत्पादन तीन गुना बढ़ा । इस प्रकार के उद्योगों में कर्मचारियों को अच्छा खासा बोनस मिलता है । लेकिन अब मजदूरों को यह भी नहीं मिला करेगा ।

गिरिडीह से कोडार्मा तक के अभ्रक कारखानों में 60 प्रतिशत कर्मचारी रोज़गार से वंचित हो चुके हैं । दो लाख के करीब कर्मचारी 1.55 रुपये से 3.50 रुपये प्रति सप्ताह मज़दूरी पाते हैं । मज़दूरी सम्बन्धी कानून बहुत कड़े हैं । वे अधिक मज़दूरी नहीं ले सकते ।

[श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य]

श्रम मन्त्रालय को इस समस्या के बारे में जानकारी है । वित्त मन्त्रालय इन वर्षों में अभ्रक उद्योग से प्रतिवर्ष 4 करोड़ रुपये की राशि निर्यात शुल्क के रूप में लेता रहा है । जब मैंने यह प्रश्न वित्त मन्त्री के सामने रखा तो उन्होंने कहा कि इस मामले से वाणिज्य मन्त्री सम्बन्धित है और वित्त मन्त्रालय तो केवल वसूली करने वाला विभाग है । वाणिज्य मन्त्रालय के साथ इस मामले को उठाये जाने पर भी कुछ नहीं बना ।

मैं इन खण्डों का स्वागत करता हूं । लेकिन इसके अन्तर्गत केवल बड़े बड़े उपक्रम ही आयेंगे ।

मैं इस विधेयक का स्वागत इस कारण करता हूं कि इसके द्वारा बड़े बड़े एकाधिकार गृहों पर अंकुश लगेंगे ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : छंटनी, कारखानों के बन्द करने और जबरन छुट्टी पर प्रतिबन्ध लगाने की मांग हम बहुत पहले से करते आये हैं कानपुर के दो कपड़ा कारखाने लगभग एक साल से बन्द हैं । इन कारखानों में 19000 कर्मचारी काम करते थे । जमा भविष्य निधि की राशि में से इन्हें एक पैसा भी नहीं मिला है । ये भूखे मर रहे हैं और कोई कोई तो भीख भी मांग रहे हैं ।

उनमे से कुछ ने तो आत्म हत्यायें भी की है ।

इन कारखानों के बारे में शिखरीय स्तर की बैठक, जिसमें शामिल होने का मुझे भी मौका मिला था, में भी चर्चा हुई थी । उस बैठक में कारखाना मालिकों तथा कर्मचारियों की सहमति से यह निर्णय लिया गया था कि यदि ये कारखाने एक सप्ताह के अन्दर काम करना शुरू नहीं करते तो शीर्षस्थ निकाय सरकार को सिफारिश करेगा कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम इन कारखानों को अपने नियन्त्रण में ले । आज मुझे पता चला है कि इस बारे में अभी तक कोई भी अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

मैं श्रम अथवा वाणिज्य मन्त्री से आश्वासन चाहता हूं कि इन कारखानों को पुनः उन मालिकों के अधिकार में न दिया जाये जो कर्मचारियों को एक वर्ष से भूखों मार रहे हैं । इस सम्बन्ध में मैं निश्चित आश्वासन चाहता हूं ।

श्री अलोक कुमार जैन के कानपुर स्थित पटसन उद्योग कानपुर के 1500 कर्मचारियों को गत 4 महीनों से तथा सवाई माधोपुर के सिमेंट कारखाने के 6000 कर्मचारियों को पिछले छः महीनों से वेतन नहीं मिल रहा है । यदि श्री अलोक कुमार जैन इन कारखानों को नहीं चला सकते तो इन्हें सरकार अपने नियंत्रण में ले ले ।

यदि इन सब बातों के बारे में कोई आश्वासन नहीं मिलता तो क्या होगा ? स्वदेशी काटन मिल्ज के 9000 कर्मचारियों को भी पिछले दो महिनों से कोई वेतन नहीं दिया गया है । इतना ही नहीं "बदली" कर्मचारियों के नाम पर हजारों कर्मचारियों को जबरन छुट्टी की गयी है ।

मूल अधिनियम की धारा 33(ग) के संशोधन के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया गया है जिसका समर्थन किया जाना चाहिये क्योंकि यदि संशोधन स्वीकार नहीं किया जाता तो कर्मचारी अपनी मज़दूरी के लिये मुकदमाबाजी में फंस जायेंगे । मुझे आशा है कि मन्त्री महोदय ने इस सम्बन्ध में कहीं से उचित परामर्श प्राप्त कर लिया होगा ।

कुछ छोटे छोटे कारखानों के कर्मचारियों को कई वर्षों से अस्थायी ही रखा गया है। मैं उपमन्त्री श्री विश्वनाथ प्रतापसिंह से अनुरोध करूंगा कि इन 20,000 भूखे मजदूरों की सहायता करें और ध्यान रखें कि कानपुर के इन कारखानों को बनियों को न दिया जाये ताकि वे मजदूरों का और अधिक शोषण न कर सकें।

Shri M.C. Daga (Pali) : All the strikes and agitations by the workers in the factories and mills have been banned since 26th June. 1975. At the same time Government is indifferent to the plight of the retrenched workers starving in the streets. 6.000 workers of Sawai Madhopur are out of job for the last six months. Cannot the Government issue Ordinance for banning retrenchments in the factories? One such ordinance should heve been issued by the Government.

It is said that this Bill will apply to the factories employing 50 workers. A number of workers have been removed in many small scale industries.

There had been pe sistent demand for amending Industrial Disputes Act because the Tribunals do not deliver their judgements for years together. What is the purpose of keeping the time limit of the unemployed to 60 days ? Why it cannot be 30 days. Secondly. which will be the final authority to decide about the justification of retrenchment or lockouts. It has not been mentioned in the Bill that labourers or their unions will have the right to submit their representations.

I oppose the bill firstly because labourers will not be heard secondly they can be discharged from service according to the agreement and thirdly this bill will be applicable on the institutions when more than 300 employees are employed. I also appose the provision regarding its implementation, as it is not being implemented from 26th Jun. 1975.

श्री के० मायातेवर (डिंडीगल) : मैं विधेयक का समर्थन करते हुये यह कहना चाहता हूं कि तमिलनाडु में राष्ट्रपति का शासन लागू करने के लिए प्रधान मन्त्री धन्यवाद की पात्र हैं। हमें आशा है कि राष्ट्रपति के शासन के दौरान तमिलनाडु के कर्मचारी वर्ग की स्थिति में अपेक्षित सुधार होगा।

मेरा यह सुझाव है कि विधेयक के उपबन्धों को कठोरता से लागू किया जाना चाहिये ताकि कोई उद्योग या फैक्टरी बिना सरकार की पूर्वानुमति के जबरन छुट्टी, छंटनी या उद्योग आदि बन्द न कर सके।

मेरा अन्य निवेदन यह है कि वर्तमान विधेयक को 300 कर्मचारियों वाले उद्योगों के साथ साथ 25 कर्मचारियों वाले उद्योगों या फैक्टरियों पर भी लागू किया जाना चाहिये। इसका लाभ देश भर के अधिकांश कर्मचारियों को हो सकेगा। इसके साथ ही हमें ऐसी व्यवस्था करने का प्रयत्न भी करना चाहिये जिसके फलस्वरूप एक उद्योग में एक ही श्रमिक संघ की स्थापना की जा सके। ऐसा करने से श्रमिक वर्ग के लिए स्वस्थ वातावरण तैयार हो जायेगा।

अस्थाई कर्मचारियों को कोई संरक्षण नहीं दिया गया है। अभी हाल ही में तमिलनाडु के अस्थाई कर्मचारियों का एक ज्ञापन मुझे प्राप्त हुआ है जिसमें यह निवेदन किया गया है कि अस्थाई सरकारी कर्मचारियों के लिये भी औद्योगिक विवाद अधिनियम के समान सांविधानिक विधान की व्यवस्था की जानी चाहिये। मैं समझता हूं कि उनके लिए कोई न कोई व्यवस्था अवश्य ही की जानी चाहिये। इस निवेदन के साथ ही मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्रम मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी): जिन माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया है मैं उनका आभारी हूं। चर्चा के दौरान जो विभिन्न प्रश्न माननीय सदस्यों ने उठाये हैं मैं उनका सभी का उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा।

[श्री रघुनाथ रेड्डी]

यह बात सभी को मालूम है कि काफी समय से यह महसूस किया जा रहा था कि हमारे देश में औद्योगिक उपक्रमों में जबरी छुट्टी, छंटनी तथा उपक्रमों को नियोजकों द्वारा अपनी इच्छानुसार बंद करनें पर कोई रोक नहीं थी। इस सम्बंध में सरकार को गहरी चिंता थी तथा इसीलिए समस्या का समाधान करने हेतु ही सरकार ने यह विधान प्रस्तुत किया है तथा यह औद्योगिक सम्बन्ध तथा श्रमिक क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण समझा जा रहा है। यह ठीक है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम हमारे यहां काफी लम्बे अरसे से लागू है परन्तु अब पहली बार ही जबरन छुट्टी, छंटनी अथवा बन्दी के लिए पहले सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। इसके साथ ही विधेयक में यह व्यवस्था भी की गई है कि यदि कोई मालिक बिना सरकार की पूर्वानुमति के एकतरफा ढंग से जबरन छुट्टी, छंटनी या बन्दी आदि करेगा तो यह समझा जायेगा कि छटनी आदि नहीं हुई तथा सम्बद्ध एकक के कर्मचारियों को वह सभी लाभ मिलते रहेंगे जो कि ऐसी घोषणा से पूर्व उन्हें मिल रहे थे। अतः घर बैठे बिठाये कर्मचारी को पूरा वेतन मिलता रहेगा।

औद्योगिक विवाद अधिनियम की तुलना में इस विधेयक के उपबन्ध अधिक कड़े हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है कि और अधिक कड़े उपबन्धों की व्यवस्था की जानी चाहिये थी। परन्तु मैं इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट कर दूं कि कर्मचारी की रुचि इस बात में नहीं होती नियोजक को क्या या कितनी सज़ा दी गई है, उसकी रुचि तो अपनी रोज़ी में होती है। उसके लिए हमने उचित व्यवस्था कर दी हैं।

मेरे कुछ माननीय मित्रों ने विधेयक के इस उपबन्ध पर आपत्ति की है जिसके अन्तर्गत यह व्यवस्था की गई है कि यदि सरकार की ओर से एक निश्चित समय तक कोई सूचना नहीं मिलती तो यह समझा जायेगा कि उद्योग को बंद करने, छंटनी करने या जबरन छुट्टी करने के लिये सरकार राजी हो गई है। हमने यह उपबन्ध इसलिए किया है ताकि सम्बद्ध अधिकारी ऐसे मामलों में किसी प्रकार की ढ़ील न करें तथा आवेदन पत्र प्राप्त होते ही तुरन्त उस पर कार्यवाही आरम्भ कर दे।

जहां तक बंदी आदि का सम्बन्ध है इसके लिए दो उपबन्ध किये गये हैं। प्रथम उपबन्ध का सम्बन्ध ऐसे मामलों से है जहां 'बंदी' की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। ऐसे मामलों में सरकार नियोजक को 'कारण बताओ' नोटिस जारी कर सकती है तथा दूसरी व्यवस्था के अनुसार नियोजक के उद्योग बंद करने से पहले सरकार को 3 महीने का नोटिस देना होगा। कुछ माननीय सदस्य इससे भी संतुष्ट नहीं हैं। वह चाहते हैं कि इन उपबन्धों को और अधिक कड़ा बनाया जाना चाहिये। मैं इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट कर दूं कि इस प्रकार का विधान पहली बार बनाया जा रहा है। यदि आवश्यकता पड़ी तो हम आगे चल कर इसमें संशोधन कर लेगे। यदि कोई अधिकारी गलत आदेश देगा तो सम्पूर्ण मजदूर वर्ग उसके विरुद्ध उठ सकता है।

कुछ माननीय सदस्यों का कहना है कि विधेयक में श्रमिक संघों के सर्वथा भुला दिया गया है। जब कभी भी कोई मालिक बन्दी अथवा छटनी की सूचना सम्बन्धित अधिकारी को देता है, तो उसका निर्णय सम्बद्ध व्यक्तियों को सूचित किये बिना नहीं किया जाना चाहिये। इसके लिए सम्बद्ध अधिकारी सम्बद्ध राज्य सरकारों को इस आशय का पत्र लिखेगा कि प्रभावित पक्ष को सूचित किये बिना कोई मामला न निपटाया जाये। उच्चतम न्यायालय ने भी इस सम्बन्ध में अनेक

मामलों में यह स्पष्ट किया है कि सम्बद्ध व्यक्तियों को सूचना दिये बिना किसी प्रकार का निर्णय नहीं किया जाना चाहिये । मैंने आरम्भ में ही यह कहा था कि यह एक ऐसा विधेयक है जिस पर अधिक विवाद की गुंजाइश नहीं है । फिर भी चर्चा के दौरान माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं, वह काफ़ी अच्छे हैं तथा मैं उसके लिए उनका आभारी हूं ।

डा० रानेन सेन तथा श्री एस० एम० बनर्जी ने एथरेटन वेस्ट मिल्ज तथा लक्ष्मीरतन काटन मिल्ज के मालिकों को पैसा देने का प्रश्न उठाया है । मैं इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट कर दूं कि इन मिलों के मालिकों को पैसा देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। सरकार इन मिलों को फिर से चालू करने के लिए विकल्प तलाश कर रही है तथा इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार से सम्पर्क बनाये हुये हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा किये गये रूप में, विचार किया जाये" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सदन को पहले ही बता दूं कि श्री स्टीफन ने अभी अभी दो संशोधनों की सूचना दी है । यद्यपि यहां इन संशोधनों के नोटिस देर से आये थे परन्तु चूंकि उन्हें स्वीकार करना विधेयक की उपयोगिता के हित में था इसीलिए मैंने उन्हें प्रस्तुत करने की मंजूरी दे दी है ।

श्री रघुनाथ रेड्डी . मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि चूंकि मैंने स्वयं ही श्री स्टीफ़न के सुझावों को स्वीकार कर लिया है और मैं इस आशय का एक संशोधन ला भी रहा हूं अतः सदस्य उन पर लम्बे चौड़े भाषण देने का कष्ट न करें ताकि यह विधान शीघ्र पारित किया जा सके ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो सभा की इच्छा पर निर्भर है । मैं तो मंत्री महोदय की ओर से निवेदन ही कर सकता हूं । अब प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 2 को विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 2 was added to the Bill.

खण्ड 3

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं अपने संशोधन संख्या 1 से 7 प्रस्तुत करता हूं ।

डा० रानेन सेन (बारसाट) : मैं अपने संशोधन संख्या 8 से 25 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं अपने संशोधन संख्या 26 से 29, 33 से 35 और 37 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री राम सिंह भाई (इंदौर) : मैं अपना संशोधन संख्या 40 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : मैं अपने संशोधन संख्या 42 से 47 प्रस्तुत करता हूं ।

Shri Ramavtar Shastri (Patna) : I have moved 16 amendments to the Industrial Disputes (Amendment) Bill. The Bill would be effective on industries employing over 300 workers and the workers with over one year of continuous service would be benefited. The Industrial Employment Standing Orders Act covers the industries employing 100 persons. There is provision that workers who have undergone 240 days of work are treated as regular workers. Same rules should apply in the case of the present Bill.

In regard to the closure of the factories you have authorised the officials to take action after making such enquiries as the officials thinks fit. He should take action for ascertaining adequate and sufficient reasons of closure and retrenchment. And a proviso should be added—

"Provided stocks of unsold articles over production and recession and loss there of shall not be counted as sufficient and adequate reasons."

You have provided for fine or one month's sentence. The sentence should be for 6 months and it should be rigorous. Simple imprisonment would not achieve the objective.

The hon. Minister must have gone through my amendments and he must accept my main amendment.

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मेरे संशोधन का उद्देश्य है कि विधेयक में कार्मिकों की संख्या 300 से घटा कर 50 कर दी जाये, ताकि वे लाभान्वित हो सकें ।

मैं चाहता हूं कि विधेयक में से "बदली कार्मिकों तथा अन्य नैमित्तिक कार्मिक" शब्द निकाल दिये जायें । यह व्यवस्था श्रमिक संगठन स्वीकार नहीं कर सकते ।

नियोजक द्वारा सूचना भेजे जाने पर मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि मजदूरों के प्रतिनिधियों को भी सूचना दी जायेगी । आप विधेयक में ही इस प्रकार की व्यवस्था क्यों नहीं करते कि अधिकारी के लिये मजदूरों के प्रतिनिधियों को सूचना देना अनिवार्य होगा ताकि यदि उन्हें कुछ कहना हो तो वे कह सकें ।

दण्ड की व्यवस्था के बारे में मेरा निवेदन है कि प्रबन्धक वर्ग जुर्माने की तो कोई परवाह नहीं करते । कैद की व्यवस्था के साथ भी अपने 'अथवा' शब्द जोड़ दिया है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : यदि मंत्री महोदय मेरे संशोधनों में से किन्हीं को उपयोगी समझें तो उन्हें स्वीकार कर लें ।

मिलों में जब आग आदि की छोटी घटनाएं हो जाती हैं तब मालिक मजदूरों को मजदूरी नहीं देते । यहां दुर्घटना की परिभाषा की जाए । मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय इस बारे में मेरा संशोधन स्वीकार कर लेंगे ।

Shri Ram Singh Bhai : I have an important amendment in regard to retrenchment. For that you have provided for two months notice. The workers to be affected by such retrenchment should also be given two month's notice. The factories call in the police. enforce section 144 and throw hundreds of workers out of job. The workers must be given prior notice for that.

श्री **रघुनाथ रेड्डी** : मैं श्री रामावतार शास्त्री के संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता। विधेयक को ऐसे कारखानों पर लागू किया जाएगा जिनमें 300 से अधिक कार्मिक कार्य करते हैं। इस व्यवस्था से 66 प्रतिशत मजदूरों को लाभ पहुंचेगा। सभी मजदूरों को इसके अन्तर्गत लाना संभव नहीं।

श्री राम सिह भाई एक श्रमिक संगठन नेता हैं। यदि सम्बद्ध पक्षों में कोई समझौता हो जाता है तो सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री रामावतार शास्त्री, डा. रानेन सेन, श्री राम सिह भाई और श्री दीनेन भट्टाचार्य के खण्ड 3 के बारे में रखे गए संशोधन मतदान के लिए रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 1 से 29, 33 से 35, 37, 40 और 42 से 47

The amendments Nos. 1 to 29, 33 to 35, 37, 40 and 42 to 47 were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है: "कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 3 was added to the Bill.

नया खण्ड 3क

उपाध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय अपना संशोधन संख्या 48 रखेंगे।

श्री रघुनाथ रेड्डी : मैं प्रस्ताव करता हूं पृष्ठ 6, पंक्ति 35 के पश्चात् निम्नलिखित : अन्तःस्थापित किया जाए :—

3A. In sub-section (1) of Section 33C of the Principal Act, for the word, figure and letter "Chapter VA" the words, figures and letters "Chapter VA or Chapter VB" shall be substituted."

(3क मूल अधिनियम की धारा 33 (ग) की उपधारा (1) में 'अध्याय पांच क' के स्थान पर "अध्याय पांच क अथवा अध्याय पांच ख' प्रतिस्थापित किया जाए।"(48)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री महोदय द्वारा रखे संशोधन संख्या 48 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :--

पृष्ठ 6 पंक्ति 35 के पश्चात् निम्नलिखित अन्त: स्थापित किया जाए :--

"3A. In sub-section (1) of section 33C of the principal Act, for the word, figure and letter "Chapter VA" the words, figures and letters "Chapter VA or chapter VB" shall be substituted"

(मूल अधिनियम की धारा 33 (ग) की उपधारा (1) में 'अध्याय पांच क' के स्था न पर 'अध्याय पांच क अथवा पांच ख' प्रतिस्थापित किया जाये)" (48)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं नया खण्ड 3क सभा में मतदान के लिये रखता हूं :

प्रश्न यह है :

"कि नया खण्ड 3क विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

नया खण्ड 3क विधेयक में जोड़ दिया गया

The new clause 3A was added to the Bill

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 4 was added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र, विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clause 1, the Enacting formula and the Title were added to the Bill.

श्री रघुनाथ रेड्डी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (औसग्राम) : इस विधेयक का उद्देश्य नियोजकों द्वारा मजदूरों की छंटनी पर रोक लगाना है । धारा 25 नियोजकों को 'बदली' तथा नैमित्तिक कर्मचारियों की भर्ती करने में प्रोत्साहन देती है । प्रेस, पेट्रोलियम और दुकानों आदि में कार्य करने वाले कर्मचारियों

को कोई संरक्षण नहीं मिला है । सरकार जबरी छुट्टी, छंटनी और तालाबन्दी पर पूरी तरह प्रतिबन्ध क्यों नहीं लगाती ? पहले से बन्द पड़ी मिलों के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

मंत्री महोदय ने पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों के आंकड़े रखे हैं । फ़रीदाबाद गाजियाबाद और दिल्ली में सैंकड़ों कार्मिकों को जबरी छुट्टी दे दी गई है । जबरी छुट्टी से प्रभावित कार्मिकों, तथा अन्य कार्मिकों, जिन पर यह विधेयक लागू नहीं किया गया, के लिये क्या कार्यवाही की जायेगी ?

Shri Ramavtar Shastri : In spite of certain deficiencies this Bill gives certain benefits to the workers. So I support it.

In a number of factories in Bihar, by off and closures have taken place. It is surprising that on the one hand Government has started work at mines and on or the other hand reputed labour leader Shri Majumdar and certain other workers have been held and are still behind the bars. The Government should suggest to Bihar Government that trade union leaders should not be held under M.I.S.A. and the leaders under detention should be releeased.

Certain fectories were taken over by the Government but all the workers employed there have not been allowed to continue in service.

All such workers should be taken back. The Government should not have resented to it.

The proprietors of Pradip lamp company and Baidyanath Ayurveda Bhavan and certain other fectories close their works at will. The Government should impose checkes on such ativities of the factory owners.

श्री रघुनाथ रेड्डी : संसद् द्वारा पारित विधेयक देश के सभी भागों में लागू होग

श्री रामावतार शास्त्री के सुझाव जहां तक सामान्य रूप से प्रभावी होंगे, ध्यान में रखे जायेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

उद्ग्रहण चीनी समान कीमत निधि विधेयक
LEVY SUGAR PRICE EQUALISATION FUND BILL

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज़ खां) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि उद्ग्रहण चीनी की समान कीमत सारे भारत में सुनिश्चित करने के लिये जन साधारण के हित में एक निधि की स्थापना का और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

यह विधेयक अविवादास्पद है । इसके पारित होने पर गन्ने के मूल्य पर चर्चा की जायेगी । चीनी उत्पादकों को निर्मित चीनी का एक निश्चित प्रतिशत केन्द्रीय सरकार को देना पड़ता है ।

[श्री शाहनवाज खां]

जिसे उचित मूल्य की दुकानों पर वितरित किया जाता है। इसे लैवी की चीनी कहा जाता है। चीनी उत्पादकों ने इस प्रथा को चुनौती दी। न्यायालय ने उन्हें अन्तिम निर्णय होने तक नियंत्रित मूल्य से अधिक मूल्य सरकार से लेने की अनुमति दी हैं। चीनी उत्पादकों ने नियंत्रित मूल्य से अधिक मूल्य की राशि, जोकि कानूनन उनकी नहीं है, वापिस करने से इंकार किया है। यह अतिरिक्त राशि उपभोक्ताओं के देय हैं जोकि अब दी नहीं जा सकती। अतः उपभोक्ताओं को प्रमाण देने पर उसकी वापसी हो सकेगी। बचे हुए धन को उपभोक्ताओं के लिये उपयोग में लाया जायेगा। उपभोक्ता समुदाय के कल्याण के लिए निधि में जमा राशि के उपयोग करने के बाद भी यदि कोई सही दावेदार आ जाता है तो उसे केन्द्रीय राजस्व से धन की वापसी की जायेगी। चूंकि विधेयक जनसाधारण के हितों की रक्षा करता है, अतः मैं इस पर विचार करने तथा इसे पास करने का अनुरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव पेश किया गया :

"कि उद्ग्रहण चीनी की समान कीमत सारे भारत में सुनिश्चित करने के लिए जन साधारण के हित में एक निधि की स्थापना का और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

डा० सरदीश राय (बोलपुर) : निधि की स्थापना करने वाले विधेयक का उद्देश्य और कुछ नहीं अपितु यह है कि चीनी के लिए दोहरी मूल्य प्रणाली स्थापित करना है और इस प्रकार इस प्रणाली से मिल मालिकों को अधिक लाभ कमाने की अनुमति देना है। इस प्रकार सरकार तथा मिल मालिक मिलकर जनसाधारण का शोषण कर रहे हैं।

देश में उत्पादित उद्ग्रहण चीनी का लगभग 35 प्रतिशत भाग सरकार द्वारा खरीदा जाता हैं, शेष मिल मालिक ऊंची दरों पर बेचते हैं। मिल मालिक अपना वास्तविक उत्पादन नहीं बताते। उसे छुपाया जाता हैं। मिल मालिक अपने पूरे उत्पादन पर उत्पाद-शुल्क नहीं देते और इस तरह उत्पादन-शुल्क के भुगतान में सरकार को धोखा देते हैं।

जब दोहरा मूल्य प्रणाली लागू की गई थी और चीनी को खुले बिक्री की अनुमति दी गई थी तो सरकार ने दावा किया था कि ऐसा मिल मालिकों को उत्पादन बढाने हेतु प्रोत्साहन देने के लिए किया गया है परन्तु गत कुछ वर्षों के दौरान हम ने देखा है कि उत्पादन में बहुत कम वृद्धि हुई है और मिल मालिकों ने भारी लाभ कमाया है और उन्होंने यह धन अन्य उद्योगों में लगाया है।

गत कुछ वर्षों में चीनी का मूल्य तीन गुणा बढ़ा है। तथापि इस अवधि में चीनी मिल मजदूरों की वेतन में कम वृद्धि हुई है और गन्ने के मूल्य में भी कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है। मिल मालिकों ने बहुत अधिक धन कमाया है।

यह एक आम मांग है कि चीनी का सारा स्टाक सरकार अपने हाथ में ले ले और उसे सरकारी माध्यम से उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर बेचे, परन्तु ऐसा नहीं किया जा रहा है। दूसरी ओर सरकार इस दोहरी मूल्य नीति के कारण देश में काले धन को बढावा दे रही है। गत कुछ वर्षों में चीनी के खुले बाजार में बिक्री के नाम पर मिल मालिकों को कई रियायतें दी गई हैं।

उद्ग्रहण चीनी पर उत्पाद-शुल्क कम किया गया है जबकि उपभोक्ता मूल्य में कोई कमी नहीं की गई है। वह रुपया मिल मालिकों की जेबों में चला गया है। खुले बाजार में बिकने वाली चीनी पर उत्पाद-शुल्क बढ़ाया गया है जिससे इसका मूल्य कई गुणा बढ गया है।

सत्तारूढ दल चुनावों से पूर्व राष्ट्रीयकरण की बात करता रहा है। उन्होंने संकल्प पास किया। उन्होंने मामले की जांच के लिए आयोग नियुक्त किये और उनके प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किये। यद्यपि देश में चीनी की कमी है और इसके मूल्य भी बढ़ गये हैं तथापि सरकार भारी मात्रा में चीनी का निर्यात कर रही है। खुले बाजार में चीनी का अधिक मूल्य होने के कारण लोग देश में चीनी नहीं खरीद सकते जिसके फलस्वरूप चीनी बच जाती है और सरकार चीनी का स्टाक फ़ालतू होने के नाम पर उसका निर्यात कर रही है। चीनी एक रुपया प्रति किलो के हिसाब से निर्यात की जा रही है। इससे जनसाधारण पर अधिक बोझ पड़ता है क्योंकि उससे अधिक वसूल किया जाता है। यह कहां की राष्ट्रीयता और राष्ट्रभाक्ति है कि देशवासियों को विदेशियों की तुलना में ऊंची दर पर चीनी बेची जाये।

विधेयक के खण्ड 6(3) में यह उपबन्ध किया गया है कि यदि निधि में जमा धनराशि इतनी पर्याप्त नहीं है कि केन्द्रीय सरकार दावेदारों को रुपया वापस कर सके तो उसके लिए केन्द्रीय राजस्व से व्यवस्था की जायेगी।

अर्थात् मिल मालिकों को कुछ रुपया मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : : उपभोक्ता को धन की वापसी की जायेगी।

श्री एस० एम० बनर्जी : (कानपुर) : थोक व्यापारी को रुपया मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति 1 या 2 किलो खरीदता है तो उसे धन की वापसी कैसे होगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री ने कहा है कि यह निर्णय करना कठिन होगा कि किस उपभोक्ता को पैसे की वापसी की जाये। इस धन के लिए दावा न होने पर यह निधि में जमा हो जायेगा और सरकार उपभोक्ताओं के लाभ के लिए इसका उपयोग करेगी। मंत्री महोदय इस बात को स्पष्ट करें।

श्री शाह नवाज़ खां : विधेयक में उपबन्ध किया गया है कि 6 महीने के बाद दावा न की गई सारी राशि केन्द्रीय सरकार की हो जायेगी।

श्री एस० एम० बनर्जी : कौन धन की वापसी का दावा करेगा ?

श्री शाह नवाज़ खां : उपभोक्ता।

डा० रानेन सेन : 2 या 4 किलो खरीदने वाला उपभोक्ता कैसे वापसी का दावा कर सकता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : उत्पादक को रुपया वापस नहीं किया जायेगा। उत्पादक को सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक वसूल की गई धन राशि जमा करने के लिये कहा जायेगा। रिफंड किस उपभोक्ता को मिलेगा इसका निर्णय करना कठिन है। रिफंड के मामले में, चाहे सम्भव हो या नहीं, धन सरकार के पास रहेगा। सरकार का कहना है कि वह इसका उपयोग उपभोक्ता के लाभ के लिये करेगी।

श्री एच० एम० पटेल : उपभोक्ता रिफंड का क्लेम नहीं कर सकेगा। थोक व्यापारी या फुटकर व्यापारी रिफंड क्लेम करेगा। मंत्री महोदय यह स्पष्ट करें कि निधि कैसे स्थापित की जाएगी, कौन फालतू भुगतान करता है, कौन फालतू भुगतान वसूल करेगा, इसका पुनः क्लेम कैसे किया जाएगा ? उपभोक्ता को रिफंड नहीं मिल सकता।

डा० सरदीश राय : मंत्री महोदय कुछ बातें छिपा रहे हैं। कुछ मामलों में सरकार को मिल मालिकों को अधिक देना पड़ सकता है और कुछ मामलों में उन्होंने अधिक वसूल किया हो और धन बैंक में जमा कर दिया है। वे इस निधि का उपयोग कर रहे हैं। उस हालत में मिल मालिकों को रिफंड देना होगा।

श्री शाह नवाज खां : चीनी मिल मालिकों ने विभिन्न न्यायालयों में कई मामले दायर किये हुये हैं। कुछ मामलों में उच्चतम न्यायालय ने सरकार के पक्ष में निर्णय दिया है। और चीनी मूल्य निर्धारण आदेश को उचित ठहराया है। उनका कहना है कि वसूल की गई धनराशि उनके पास ही रहे। हमारा यह सुझाव है कि यह राशि उद्ग्रहण चीनी समान कीमत निधि में जानी चाहिये। इसका उपयोग समूचे देश में चीनी की समान कीमत सुनिश्चित करके उपभोक्ता के कल्याण के लिये किया जाये। अधिक धन होने पर उद्ग्रहण चीनी की समान कीमत फुटकर में कम की जाये। इस स्कीम का यही उद्देश्य है।

श्री **एच० एम० पटेल** : विधेयक का मुख्य उद्देश्य यह है कि केन्द्रीय सरकार के पास रखा गया धन का उपयोग समूचे देश में उद्ग्रहण चीनी की समान कीमत सुनिश्चित करने के लिये किया जाएगा। इस समय इसका मूल्य अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है। चीनी का लेवी मूल्य निर्धारित करने के प्रयोजन से देश को 16 जोनों में बांटा गया है। पूल मूल्य की प्रक्रिया में यह स्थिति पैदा होती है कि कुछ व्यापारियों और उचित दर की दुकानों को शुरू में अलग मूल्य पर चीनी दी गई है और बाद में अन्तर लोगों को वापस किया जायेगा। इस प्रकार साधारण उपभोक्ता को एक ही मूल्य पर चीनी उपलब्ध हो सकेगी।

डा० सरदीश राय : मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के भुगतान के लिये केन्द्रीय राजस्व से किसी प्रकार का पैसा नहीं लिया जाना चाहिये। इस निधि की स्थापना के लिये चीनी मिल मालिकों पर लेवी लगाई जानी चाहिये। इस विधान से कोई उद्देश्य हल नहीं होगा। चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण के लिये कदम उठाये जाने चाहियें। सरकार को चीनी सम्बन्धी नीति पर विचार करना चाहिये ताकि उपभोक्ताओं को समूचे देश में चीनी उचित मूल्य पर उपलब्ध हो और गन्ना उत्पादकों के हितों की रक्षा हो।

श्री के० सूर्यनारायण (एलरु) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। केन्द्रीय सरकार के पास रखी गई राशि का उपयोग सारे भारत में उद्ग्रहण चीनी की समान कीमत सुनिश्चित करने के लिये किया जाएगा। इसका यह अर्थ हुआ कि वे उपभोक्ता को दी जाने वाली लेवी चीनी का वही मूल्य कारखाने से वसूल नहीं कर रहे हैं। इससे रुपया सीधे उनको जायेगा। यह रूपया सामान्य उपभोक्ता के हित में लगाया जायेगा। इस बारे में कोई विवाद नहीं है। सरकार ने यह विधेयक इसलिये पेश किया है कि उपभोक्ताओं का शोषण रोका जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय : उत्पादकों ने कुछ अतिरिक्त राशि वसूल की है। क्या यह सही नहीं है कि यह धन उपभोक्ता के लाभ के लिये उपयोग किया जाये ? यदि हम इस बात को स्वीकार करते हैं तो अन्य समस्याओं पर विचार किया जा सकता है।

श्री ऐच० एम० पटेल : हम इस बात को स्वीकार करते हैं। मंत्री महोदय ने लेवी चीनी के बिक्री मूल्य के बारे में बताया है। मैं बताना चाहता हूं कि सरकार, द्वारा खरीदी गई लेवी चीनी का मूल्य विभिन्न कारखानों से अलग-अलग होता है। अतः सरकार पूल मूल्य निर्धारित करती है। पूल करने की प्रक्रिया में वितरकों को दी जाने वाली चीनी के मूल्य में अन्तर हो सकता है। इसका समायोजन बाद में किया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि सरकार के पास कुछ धन रहता है और किसी कारण उपभोक्ता को रिफंड नहीं किया जाता तो सरकार उसे उपभोक्ता के लाभ करने के लिये उपयोग करना चाहती है। इससे सारे देश में चीनी की समान कीमत होगी, या चीनी का मूल्य कम निर्धारित किया जा सकता है।

Shri Sarjoo Pandey (Ghazipur) : The hon. Minister has just now stated that the object of the Bill is to refund the many charged extra from the Consumers and in case there is no claiment. the amount so refunded will be utilised for bringing out uniformity in the sugar prices all over the country. The Bill on the face of it appears to have laudable object. But the details of the procedure to be followed for claiming refund by the consumer has not been spelt out in the Bill. May I know whether any machinery will be constituted who will get the extra charged amount from the mill owners and refund it to the Consumers? If it is not done, the very purpose of the Bill will fail. Sugar problem needs serious consideration. It is a well known fact that sugar mill owners have been fleecing people since long time. Therefore, a comprehensive Bill should be brought forward in the House. It is high time to bring such legislation which may prove beneficial to Consumers as well as to the sugar cane grower.

[श्री सी० एम० स्टीफन पीठासीन हुए]

(SHRI C. M. STEPHEN *in the Chair*)

On the whole, I support the Bill. But it should also be made clear as to how the money in the fund would be utilised and what will be the procedure for making refund to consumers?

श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी (चित्तूर) : उद्ग्रहण चीनी समान कीमत निधि विधेयक का समर्थन करते हुये मैं मंत्री महोदय से कुछ जानकारी चाहता हूं। विधेयक पुरःस्थापित करते समय मंत्री महोदय ने कहा था कि यह विवादास्पद विधेयक नहीं है, इसलिये इस पर चर्चा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि इस निधि बनाने की आवश्यकता किन परिस्थितियों में हुई ?

यह सर्वविदित है कि चीनी मूल्य निर्धारण नीति का निर्णय सरकार द्वारा न किया जाकर उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि गत उद्ग्रहण चीनी नीति के अन्तर्गत चीनी उत्पादकों से कितनी राशि इकट्ठी की गई थी और उस अतिरिक्त राशि का उपयोग कैसे किया गया ? सरकार ऐसी स्थिति उत्पन्न ही क्यों होने देती है जिसमें चीनी उत्पादक उपभोक्ताओं से अधिक राशि लें ? सरकार को इस नीति पर पुनः विचार करना चाहिए ताकि मुकदमेबाजी की नौबत न आये। सरकार को नीति के दोषों को दूर करना चाहिए।

[श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी]

सरकार दोहरी मजूरी नीति अपना रही है। अब समय आ गया है जब सरकार यह नीति छोड़ दे और एक समान नीति अपनाए।

टैरिफ़ आयोग तथा सरकार द्वारा गन्ने के लागत मूल्य निर्धारण और खुली चीनी के मूल्य निर्धारण में असफलता के कारण ही चीनी उद्योग में अस्थिरता आई है।

मैं मंत्री महोदय से फ़िर अनुरोध करता हूं कि वह संशोधित उद्ग्रहण चीनी मूल्य नीति पर पुन: विचार करें ताकि चीनी उद्योग को बढ़ावा मिले, निर्यात की सम्भावनाएं बढ़े तथा गन्ना उत्पादकों के साथ न्याय हो।

Shri Shiv Nath Singh (Jhunjhunu) : It is a welcome measure. I support the Bill. But it should have been made clear as to how the amount realised from mill owners will be utilised. Last time when quota of open market sugar was increased it was said that the factory owners would utilize the excess profits for improving macninery. But I challenge that not a single mill owner utilised his excess profit for that purpose. Their object is to fleece the Consumers.

Now the qestion before us is about the utilisation of fund. The levy sugar price equlisation fund should be utilised not for payment of excess maney to individual Consumers but for helping the cane growers. They should be provided with seeds and agricultural inputs at subsidised rates. It will result in more production.

Shri Ishaque Sambhali (Amroha) : I am very happy that Government have come forward with such type of Bill which provides for utilisation of excess fund. It is a well known fact that sugar factory owners have earned huge profits. The money of the fund should be utilised for helping the cane growers. They should be supplied good seeds and fertilizers at proper rates. It is high time that sugar industry should be nationalised.

Shri Darbara Singh (Hoshiarpur) : It would be difficult for individual consumers to get back their money. The Government should take a decision whether this money would be utilised for making payment to consumers or for helping the cane-growers ?

श्री शाह नवाज़ खां : इस विधेयक के बारे में माननीय सदस्यों में कुछ भ्रान्ति है। कुछ चानी मिल मालिकों ने न्यायालय से निर्णय लेकर उद्ग्रहण चीनी मूल्य से अधिक मूल्य ले लिये थे। अब उच्चतम न्यायालय ने उनकी याचिकाएं रद्द कर दी हैं तथा सरकार द्वारा दिये गये उद्ग्रहण चीनी मूल्य को सही ठहराया है। अब उस अतिरिक्त राशि के बारे में यह प्रश्न उठता है कि इसे मिल मालिकों को दिया जाये। उपभोक्ताओं को वापिस लौटा दिया जाये या सरकार को दिया जाये ? अधिकांश लोगों का मत है कि यह राशि उपभोक्ता को लौटा देनी चाहिए। हम उपभोक्ता को राशि का दावा करने का अवसर दे रहे हैं। लेकिन मानलो वह साक्षी पेश नहीं कर पाता तो इस राशि का क्या किया जाये।

सदन को यह ज्ञात है कि चीनी मिलों के लिए विभिन्न ज़ोनों में विभिन्न मूल्य निर्धारित किये जाते हैं। इन सब मूल्यों को एक समान किया जाना है ताकि उद्ग्रहण चीनी एक ही मूल्य अर्थात् 2 रुपये 15 पैसे प्रति किलो की दर से जारी की जाये। मूल्यों को बराबर करने के लिए ही निधि बनाई गई है। यह योजना भारतीय खाद्य निगम द्वारा शुरू की गई है और अब भी चल रही है। हमारे विधि परामर्शदाताओं ने सलाह दी है कि चीनी मिलों से अतिरिक्त राशि वसूल करने के लिए एक नई निधि बनाई जाये। हमें यह निधि बनाकर उन उपभोक्ताओं को राशि का दावा करने का अवसर देना है जिन्होंने अतिरिक्त राशि दी थी। अगर व दावा नहीं करते तो राशि का प्रयोग चीनी के मूल्यों में समानता लाने के लिए किया जाएगा। यह राशि लगभग 40 करोड़ रुपये है।

इस राशि का उपयोग या तो उद्ग्रहण चीनी के मूल्य कम करने में अथवा चीनी के मूल्यों में स्थिरता लाने के लिए किया जा सकता है। उपभोक्ताओं द्वारा दावा करने के बारे में कुछ नियम बनाये जायेंगे और उपभोक्ताओं को इन नियमों के अन्तर्गत आवेदन देना होगा; उन्हें न्यायालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी। 6 महीने तक भुगतान किया जायेगा; उसके बाद निधि की राशि केन्द्रीय राजस्व में डाल दी जायेगी और फ़िर वहां से भुगतान किये जायेंगे। अनुमान है कि 40 करोड़ रुपये की राशि में से कुछ भाग उपभोक्ता दावे के रूप में ले जायेंगे शेष राशि केन्द्रीय राजस्व में डाल दी जायेगी। इस प्रकार केन्द्रीय राजस्व पर बोझ पड़ने का प्रश्न नहीं उठता।

माननीय सदस्य ने यह सुझाव दिया है कि इस निधि का उपयोग गन्ने के विकास के लिए किया जाये। यह सराहनीय सुझाव है। लेकिन हमें यह भी स्वीकार करना चाहिए कि यह राशि उपभोक्ताओं की है और उन्हें यह वापिस मिलनी ही चाहिए।

श्री **एच० एम० पटेल** (ढ़ंढ़ुका) : मंत्री महोदय का कहना है कि निधि का उपयोग चीनी के मूल्यों में समानता लाना है। लेकिन विधेयक के उद्देश्य तथा कारण सम्बन्धी कथन में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। यदि निधि का उपयोग उपरोक्त उद्देश्य के लिए किया जाना है तो इसका अर्थ यह हुआ कि उपभोक्ताओं को धन लौटाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री **शाहनवाज खां** : मैं पहले ही बता चुका हूं कि पहले 6 महीने राशि उपभोक्ताओं को वापिस लौटायी जायेगी। इसके बाद राशि लौटाने का कार्य केन्द्रीय राजस्व में से किया जाएगा। सदन को यह भी ज्ञात है कि उद्ग्रहण चीनी नीति का मूल्य सरकार निर्धारित करती है और वितरण भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया जाता है। यदि निगम के पास निधि हो तो वह इसका उपयोग उद्ग्रहण चीनी के मूल्य में कमी करने के लिए कर सकता है।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि उद्ग्रहण चीनी की समान कीमत सारे भारत में सुनिश्चित करने के लिए जनसाधारण के हित में एक निधि की स्थापना का और उससे सम्बन्धित तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 5 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

खण्ड 2 से 5 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 2 to 5 were added to the Bill

सभापति महोदय : डा० सरदीश राय के संशोधन के लिये राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक है। चूंकि मंजूरी अभी प्राप्त नहीं हुई, संशोधन को पेश नहीं किया जा सकता।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 6 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

खण्ड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 6 was added to the Bill.

खण्ड 7 से 16 विधेयक में जोड़ दिए गए

Clause 7-16 were added to the Bill.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

खण्ड 1 विधेयक में जोड़ दिया गया :

Clause 1 was added to the Bill

अधिनियमन सूत्र

सभापति महोदय :

संशोधन किया गया

Amendment made :

पृष्ठ 1 पंक्ति 1—

Twenty Sixth

(छब्बीसवें) के स्थान पर

Twenty-Seventh

(सत्ताइसवें) पढा जाए।

(श्री शाहनवाज़ खां)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है।

"कि अधिनियमन संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

अधिनियम सूत्र, संशोधित रूप में, विधयक में जोड़ दिया गया

The Enacting Formula, as amended was added to the Bill

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया

The Title was added to the Bill

श्री शाहनवाज खां : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted

गन्ने के मूल्य के बारे में चर्चा

DISCUSSION ON RE. SUGAR CANE PRICE

Shri Narsing Narain Pandey (Grakhpur) : The question of suggrcane prices has acquired great importance ever since 1932 when the Government passed a law for regulating the sugarcane price and giving protection to the sugar fccctories. Prior to that the farmers grew sugarcane and prepared gur therefrom. In 1937 the Central Government authorised the Governments of U.P. and Bihar to fix minimum price for sugarcane by passing a law in this regard. From 1942 to 1948 the Central Government themselves exercised control on sugarcane and in 1950 passed a law to fix statutory minimum price of sugarcane.

Later several committees were appointed whose functions was to give protection to sugar-mills and fix the sugarcane price. Unfortunately all through this period we had not come across a single report laying down any definite policy in regard to the fixing of sugarcane price. Even in the recent report of the Bhargava Commission no attention has been paid to this. It is a matter of deep-regret that the crores of farmers who grow sgar-cane in the country. are not getting even the minimum price for it. The result is this that they are very much disappointed. The House should seriously consider wether this state of affairs will not adversely affect sugarcane production.

In Uttar Pradesh last year the price fixed for sugar-cane was Rs. 12·50 per quintal and for the eastern region it was less than that. It is not known as to how this price has been arrived at when Government has accepted the principle that the price of sugar-cane will be fixed on the basis of recovery. Government should know that in the eastern region the recovery is higher than the western region because the farmers in the eastern region use high yielding variety seeds. One fails to understand the economics behind the fixing of this price taking into account the increased cost of production. The Indian Sugar Mills Association has itslef said that if they get sugar price of Rx. 400 per quintal in the open maret then the sugarcane price will be fixed at Rs. 14·50 per qintal. Even then what is actually paid is only Rs. 14·50. Is this just ?

In the Fifth Plan the target of sugar production has been fixed at 65 lakh tonnes to 70 lakhs tonnes. In order to achieve this target it is necessary to create an equalisation fund ant spend it on increasing sugar prodction. By increasing sugar production and by exporting if we can earn valuable foreign exchange with which we can make the payment of the bill of petrol import. Have the Government given any thought to this matter ?

[Shri Narsing Narain Pandey]

We would like to know wether the sugar mills have spent any amount on sugarcane development from 1930 to 1976. Whatever development has come about it has been as a result of the farmers' own efforts. Even then when they ask for increase in sugarcane price their demand is turned down on the plea that it will affect the levy sugar price. This is very unfortunate.

If Government want to increase sugarcane and sugar production then they will have to lay down unfiform policy in regard to gur, khandsari and sugar.

It is not known why the Bhargava Commission Report has been kept locked up so far and why it is not being published.

So far as the question of payment of arrears of sugarcane price is concerned, it remains unresolved to this day. The Minister has himself given figures of the amount due till December 1975. Rs. 22.74 crores are outstanding against U.P. sugar mill owners only. It is high time that some concrete steps are taken in this regard.

It is also time when Government should take a decision for taking over the sugar mills. So long as this is not done the sugarcane growers will continue to suffer.

The discrimination in regard to fixing of sugarcane price for the eastern and western regions of Uttar Pradesh should be removed. I hope that this matter will be looked into and a definite policy will be laid down in this regard.

श्री एच० एम० पटेल (ढंढूका) : सरकार लेवी चीनी का मूल्य निर्धारित करने के सम्बन्ध में भेदभावपूर्ण नीति अपना रही है। जैसाकि आप जानते हैं कि उत्पादन का 65 प्रतिशत भाग सरकार के पास लेवी चीनी के रूप में जाता है और शष 35 प्रतिशत खुले बाजार में बेचा जाता है। लेवी चीनी का मूल्य उस आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए जो सब को मान्य हो। यह स्पष्ट नहीं है कि किस आधार पर लेवी चीनी का मूल्य निर्धारित किया जाता है। क्या यह चीनी की उत्पादन लागत के आधार पर निर्धारित किया जाता है? जो कारखाने सहकारी समितियों द्वारा चलाये जाते हैं वे अन्य कारखानों की अपेक्षा गन्ने का उचित मूल्य देते हैं। लेवी चीनी के मूल्य निर्धारित करने के सम्बन्ध में भेदभावपूर्ण नीति मूल्यों में अत्यधिक अन्तर को देखते हुए और भी स्पष्ट हो जाती है। यदि 1972 में 150 रु० का मूल्य उचित था तो वे इसे इस आधार पर सही सिद्ध कर सकते हैं कि विभिन्न जोनों में उत्पादन लागत अलग अलग थी। जहां टक सहकारी कारखानों का सम्बन्ध है, गुजरात में एसे एक कारखाने में कुल हानि 167 लाख रूपये की है और उसकी पूंजी लगभग 120 लाख रुपये है जो हानि से पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। लेवी चीनी के लिए निर्धारित मूल्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें 40 रुपये प्रति क्विटल हानि होगी। इस तरह उनकी हानि बढ जायेगी और वह कारखाना बन्द हो जायेगा। सौभाग्य से इससे उत्पादक को हानि नहीं होगी क्योंकि यह उत्पादकों का ही कारखाना है परन्तु उत्पादक को पूंजी निवेशक के रूप में हानि अवश्य होगी।

श्री शाहनवाज खां : वे उत्पादन को क्या कीमत दे रहे हैं।

श्री डी० डी० देसाई : 14 रुपये

श्री एच० एम० पटेल : वे उतना देते हैं जिसके लिए उनके साथ समझौता हुआ है। उत्तर प्रदेश और बिहार में उत्पादकों को निर्धारित मूल्य नहीं मिलता जबकि गुजरात में मिलता है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लेवी चीनी के मूल्य में भद-भावपूर्ण नीति न अपनाई जाये। कुछ मामलों में तो मूल्य एस स्तर पर निर्धारित किया जाता है जो बिल्कुल अलाभप्रद होता है।

गन्ने का मूल्य चीनी के मूल्य के साथ जुड़ा हुआ है। अन्य बातें भी हो सकती हैं। सरकार को इस समूचे प्रश्न पर विचार करना चाहिए तथा इस प्रक्रिया में बहुत अधिक समय नहीं लगाना चाहिए। भार्गव आयोग के प्रतिवेदन का अध्ययन करने में इतना अधिक समय लग गया है। क्या कारण है कि सरकार अब तक उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति करने के बावजूद भी इस बारे में कोई निर्णय नहीं कर पाई है? लेवी चीनी के मूल्यों में इतना अधिक अन्तर किस लिये है? आन्ध्र प्रदेश में 118 रुपये तथा दक्षिण बिहार में 442 रुपये तक क्यों है? यह समझना कठिन है कि इसके पीछे युक्तिसंगत तर्क क्या है। यदि कृषि क्षेत्र को समृद्ध बनाना है तो सबसे पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि किसान को उसके उत्पाद का उचित मूल्य मिले। अतः गन्ना उत्पादकों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाया जाये।

Shri E. V. Vikhe Patil (Kopargaon): There are 12 sugar mills in my constituency out of which 5 are in private sector and 7 in co-operative sector. Ever since the sugar mills came up, the conflict in regard to sugar-cane price has been going on. In the year the production of sugarcane is good, the cane growers get less price for their produce. I feel that unless there is long term planning in the matter, the situation cannot improve. Sugar is a basic industry in our country. Out of the total exports of the country amounting to Rs. 1000 crores during the last year, sugar exports amounted to Rs. 375 crores. If the government want to run this basic industry and increase the exports of the country, the cane-growers shou d be ensured fair price for their produce. The government should give cash subsidy to ensure for them a fair price.

There are 35 co-operative sugar factories, in Maharashtra which were set up by the growers themselves at a cost of Rs. 250 crores. These factories give reasonabe price for the sugarcane. Other mills do not give that price for sugarcane. These co-operatives also give due income tax to government. The sugar mils should give more price for the sugar-cane than the minimum price. It is pity that not even a single mill has paid more, though Bhargave Commission had recommended that a percentage of the proceeds reaised from the sale of free sugar should be paid to sugar cane growers.

It is good that a fund of Rs. 40 crores has been set up for the benefit of the consumers. When the sugar mills have diverted the financial assistance to other purposes, why they have not been takenvo er by the government ? In case the government has no funds to take them over, the amount of the aforesaid fund should be utilized for this purpose. So long as these sugar mills are owned by these private owners, the canegowers cannot get justice. Even the mode of the working of the Agricultural prices Commission should be suitably changed to achieve that purpose. The sugar mill owners on the one hand do not pay adequate price to growers and on the other, they do not want to pay bonus to the workers. The government should take stringent action against such sugar mills.

सभापति महोदय : समय कम रह गया है। अतः मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य 5 मिनट में अपनी बात कहने की चेष्टा करें।

श्री डी०के० पंडा (भंजनगर): चीनी नीति तथा गन्ना नीति पर पिछले चार वर्ष से बराबर मामला उठाया जाता रहा है तथा परम्परागत प्रकार के उत्तर दे दिये जाते हैं। गन्ने के लिये उचित मूल्यों की बात उठाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसका निर्णय किया जा चुका है। गन्ना नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत, दूसरी फसलों से होने वाली आय तथा वास्तविक उत्पादन लागत के आधार पर मूल्य निर्धारित किया जाता है। परन्तु इस पर अमल नहीं किया गया है। नियम 197 और 184 के अधीन मामला उठाये जाने पर भी कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिल पाया। जबकि मूल्य नियंत्रण का सिद्धान्त तय हो गया है, हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। गन्ने के मूल्य के 52

[श्री डी० के० पंडा]

करोड़ रुपये बकाया पड़े हैं जिनमें से 29 करोड़ 1975–76 के तथा 22 करोड़ 1973–74 और 1974–75 के हैं। वसूली का अधिनियम पहले से ही बन चुका है । किन्तु कितने मामलों में वसूली की गयी है ? वास्तव में इस नियम का भी उल्लंघन किया जा रहा है ।

उत्तर प्रदेश में 46 मिलों पर 18.62 करोड़ रुपए बकाया हैं जिनमें से 2.77 करोड़ रुपए 17 मिलों पर 1973–74 के हैं। केवल एक मिल के विरुद्ध एक मामला चलाया गया है। गन्ना मूल्य नियंत्रण आदेश के उल्लंघन के सभी मामलों में तुरन्त दण्ड दिया जाना चाहिए। दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध 'आंसुका' के अधीन कार्यवाही की जाये। गन्ना उत्पादकों को लूट कर इन लोगों ने काफी धन कमाया है। नियमानुसार अदायगी 14 दिन में की जानी चाहिए। परन्तु ऐसा किया नहीं जाता।

1–11–75 को मंत्री महोदय ने बताया कि वह विस्तार कार्य करने वाली मिलों को कुछ प्रोत्साहन दे रहे हैं। गन्ना उत्पादकों को विशेष हानि उठानी पड़ रही है क्योंकि उर्वरक पानी तथा अन्य उपकरणों का मूल्य अधिक देना पड़ता है । क्या सरकार उन्हें सहायता देने के लिये विधेयक लायेगी ? बिलों को तो आपने विस्तार योजनाओं के नाम पर अधिक अधिक रियायतें दे दी हैं।

दिसम्बर 1975 में अखिल भारतीय गन्ना उत्पादकों की गोष्ठी में 287 सदस्यों की राय थी कि बकाया राशि रोक कर न रखी जाये तथा मूल्य लाभदायक स्तर पर निर्धारित किया जाये। इन सब कमियों को दूर करने का एकमात्र तरीका यह है कि चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये ।

कितनी चीनी मिलें अपने अतिरिक्त लाभ का 50 प्रतिशत गन्ना उत्पादकों को देती हैं ? ऐसी दशा में मंत्री महोदय इस तर्क द्वारा चीनी मिलों की वकालत क्यों करते हैं कि चीनी बनाने की मशीनरी के मूल्य बढ़ गये हैं ।

1974 में जब हमने गन्ने के लिये 18 रुपये प्रति क्विंटल मूल्य की मांग की थी तब यह तर्क दिया गया था कि हमसे अन्य कृषि उत्पादों के मूल्य बढ़ जायेंगे। पिछले वर्ष 16.50 रुपये प्रति क्विंटल मिल रहे थे। इस वर्ष उससे काफी कम मिल रहा है ।

श्री शाह नवाज खां : पिछले वर्ष उन्हें 16.50 रुपये नहीं मिले । उत्तर प्रदेश में मूल्य 13.50 रुपये था। पूर्वी उत्तर प्रदेश में यह 14.50 रुपये था।

श्री डी० के० पंडा : गन्ने का मूल्य निर्धारित करने के लिये संसद सदस्यों की एक सांविधिक समिति क्यों नहीं बनायी जाती ? इसकी मांग 1956 से की जाती रही है ।

Shri D. N. Tiwary (Gopalganj): It is an irony of fate that when production increases, the prices fall and when production declines, the prices rise. When the producers increase the production they do not even get the cost price of their produce, what to talk of profit. In this way the farmer is benefited when he produces less because the cost of inputs go up when he tries to produce more.

Has the government ever considered taking measures whereby increasing the production may not lead to a fall in price ? The problem of fixing a remunerative price for sugarcane is very old. Sugar mill owners never paid adequate price to the farmers for sugarcane and earned heavy profits. They are even selling baggage and other by products. These people neither pay sales tax to the State Government nor income tax to the Central Government.

The cane-growers have to suffer in various ways. They have to pay more for fertilizer water, power etc., but they get the prices of 1972 of their produce. The government want the production of sugar to increase to earn more foreign exchange. But what incentive does the government give to the cane growers ? The government should devise some formula so that the farmers who grow more are given some incentive.

If the farmer can get his necessities of life at previous rates, he would not grudge selling sugar cane at Rs. 12·50 or 13·50 per quintal.

There is no justification for difference in prices in different Zones. The hon. Minister should look into it.

When the prices of the mill products are increasing, why the prices of the produce of the farmers are not increased correspondingly ? The accounts of the Mills should be fully investigated. The experts of the government ignore these things. The hon. Minister should give due attention to this matter.

Shri Ram Chand Vikal (Baghpat): Shri Narsingh Narain Pandey has very ably proved that the cane growers do not get remunerative price of their produce.

[श्री इसहाक सम्भली पीठासीन हुए]

[SHRI ISHAQ SAMBHLI *in the Chair*]

If we want to implement the economic programme, it is our duty to provide economic help and give social respect to both the farmers and the labourers. The sugar cane grower is a producer as well as a consumer. While the prices of all consumer articles are ruling high, the grower is paid un-remunerative price for his produce. It is rightly said that the sugarcane grower is not being paid just and fair price for his produce.

Even if a peasant is poor he does not show it, on the other hand, he poses as a rich person. But millowners hide their profits and show as if they are running in a loss. The Government officials would argue in favour of mill owner. Unfortunately even our economists do not do justice in fixing the price of agricultural commodities.

Sugarcane growers of certain districts in Uttar Pradesh were paid Rs. 21/- and Rs. 17/- per quintal during 1967-68. In 1974 the price was fixed Rs. 15·25. But the mill owners started paying Rs. 11/- per quintal. They advance various arguments supporting their demand for higher price of sugar. We do not even have better feeling for the farmers whose sons protect the borders of the country. I get inspiration from the will of Pandit Nehru in which he expressed the desire that his ashes be scattered over the fields. That showed his regard for the farmers. We get food, cloth, milk and ghee due to their labour. In fect they are life-givers of this country. When we to have that kind of spirit for the farmers then alone our way of thinking would change. The condition of farmers and labourers in this country, who are the real producers of food and goods in the fields and the factories, is pitiable. Representations of farmers should also be included in the Agricultural Prices Commission. They should be made partners in the profits earned by the mills.

Some people have expressed the opinion that the mills running in a loss should be nationalized. The government should not do that. I only want to say that farmers should be shown respect and given justice.

Shri Ram Deo Singh (Maharajganj): The sugar industry is in danger. It is one of the vital industry which earns a lost of foreign exchange. But due to the policies of the government to ignore sugar industry and the production of sugarcane, the recommendations of Bhargava Commission have not as yet been accepted. If the government is in favour of nationalization it should come forward to do so without delay and, if not, it should clearly state its policy. For the last 2 or 3 years, mill owners are not investing anything in the factories.

[Shri Ram Deo Singh]

The policy adhopted for fixing the price of sugarcane is very defective. The price of other Commodities is on increase in the market but the price of sugarcane remains to be same. As a matter of fact now-a-days the price of sugarcane is less than the price of firewood. The farmer has to pay an increased price for his inputs like water, fertiliser, pumping sets etc. In view of this the price of sugarcane is quite uneconomic. It must be reviewed in the changed context.

There should be a rational policy for fixing the price of sugarcane as well as sugar. If my memory serves me correctly, during the British days the price of sugarcane was linked with sugar price and as and when the price of sugar was raised, the price of sugarcane was also raised. But now it is strange that both sugar and sugarcane prices are being fixed arbitrarily.

I feel that sugar industry will not be nationalised in our country because huge funds are being given by this industry to the ruling party in the name of donations. As and when there are elections in the country this industry is approached by the ruling party for funds. It is simply because of this reason that although this industry has to pay crores of rupees to cane growers still no action is being taken by the Government against them. Even during this emergency, sugar-millowners have not been forced to clear the arrears of poor sugarcane growers. It is high time for the government to look into the genuine grievances of farmers.

I am really at a loss to understand why our Government has entered into a dual policy for sugar. Sugar is being sold in the open market as well as on controlled ration shops. May I know the reason for this ? I think government should be quite clear about it and it should either adopt the policy of free sale or that of controlled sale of sugar. We must do away with this dual system.

A lot of leg pulling is going on between the sugar mills situated on the borders of Bihar and Uttar Pradesh. Their bone of contention should be sorted out at the earliest for smooth running of the sugar mills and villages attached for each mill should be clearly declared.

An attempt should also be made by the government to encourage sugar-cane production. For this purpose it is essential that handsome remunerative price should be ensured for the growers. The recovery of their arrears should also be ensured at the earliest.

Shri Genda Singh (Padrauna): I am really grateful to Shri Narsingh Nara in Pande who raised the discussion regarding sugarcane price. By doing so he has rightly raised aa issue which affects the majority of people in our country. At the outset I must point out that there is lot of disparity in the sugarcane prices in different parts of the country. In Maharashtra some Co-operative mills are paying Rs. 17 to 21 to the sugarcane grower while in eastern parts of U.P. and Haryana only Rs. 11 are being paid to sugarcane grower for a quintal of sugarcane. How strange it is that irrespective of increased recovery price of sugar in many parts of the country, the grower in many parts continues to get the same old price for sugarcane.

I do admit that the report of Bhargava Commission was not unanimous. But even the dissenting members of the commission, whose name I cannot recollect at the moment, expressed a firm opinion that sugar mills in the private sector should be nationalised. It was a salutory suggestion, and I feel that government should accept the same. It is high time to free the poor farmers and sugarcane growers from the clutches of sugar magnates.

I am pained to point out that sugar magnates are not only expliotin g the grower but they are also cheating the government. They are charging high prices not only for sugar but also for the by-products of sugar such as molarsses and baggasse e. So much so that they are also adept in cheating the Government of its rightful revenue by presenting cocked up balance-sheets. The fact of the situation is that these milloweners have earned many times more than what they initially invested in these mills. Their monopoly is decades old. In this free and socialistic India we must put an end to all this. Now under the emergency our government is more powerful. I think under the dynamic leadership of Smt. Indira Gandhi all possible steps will be taken to ensure remunerative price to sugarcane growers for their produce. I trust the leadership of Smt. Gandhi will put an end to the monopoly of sugar millowners.

श्री एस० पी० भट्टाचार्य (उलुबेरिया): हमारे देश में गन्ना उत्पादकों की स्थिति बहुत दयनीय है। पंजाब तथा उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में गन्ना 15.50 रुपये या 16 रुपये क्विंटल की दर से बेचा जाता है । मूल्य आयोग द्वारा इसका कम से कम मूल्य 9.50 रुपये निर्धारित किया गया है । 10 क्विंटल गन्ने से एक क्विंटल चीनी प्राप्त हो जाती है जबकि चीनी लागत मिला कर

उस का मूल्य लगभग 2 रुपये प्रति किलो होना चाहिये। सरकार को चीनी सस्ते दामों पर उपलब्ध करवाने का जहां भरसक प्रयत्न करना चाहिये वहां दूसरी ओर गन्ना उत्पादकों को उचित मूल्य दिलवाने का भी प्रयत्न करना चाहिये। सरकार को चीनी उत्पादन के लिए वैज्ञानिक पद्धति अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित करना चाहिये जिससे कि कम लागत पर इसका उत्पादन किया जा सके।

मूल्य आयोग द्वारा गन्ने के मूल्य बहुत मनमाने ढंग से निर्धारित किये जाते हैं। गन्ने का मूल्य निर्धारित करते समय श्रम, सिंचाई तथा समय आदि का व्यय तथा किसान द्वारा की गई मेहनत को दृष्टिगत रखा जाना चाहिये। किसान को उसकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलवाया जाना चाहिये ताकि वह अपना तथा अपने परिवार का भली प्रकार पालन पोषण कर सके। यदि सरकार ऐसा नहीं करती तो वह अपने उत्तरदायित्व को निभाने में असफल समझी जायेगी।

चीनी को उचित दर पर बेचने के लिए भी कुछ प्रयत्न किया जाना चाहिये। आज स्थिति यह है कि मिल मालिक किसानों तथा उपभोक्ताओं को लूटने में लगे हुये हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारी सरकार भी मिल मालिकों के चुंगल में ही है। इस से निकलने का प्रयत्न किया जाना चाहिये। उपभोक्ताओं के लिए चीनी के मूल्य निर्धारित किये जाने चाहिये।

मैं सरकार को यह स्मरण दिला दूं कि वह चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण के बारे में वचनबद्ध है। मैं यह जानना चाहता हूं कि आखिर चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने में कठिनाई ही क्या है? मिलों में काम करने वाले मजदूरों को मिल मालिकों के चुंगल से बचाने के लिए कुछ न कुछ अवश्य ही किया जाना चाहिये।

श्री के० सूर्यनारायण (एलूरु) : हमारे देश में यह एक आम धारणा है कि गन्ना उत्पादकों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिलता है। जब कभी भी इस विषय पर चर्चा होती है तो सदस्यों द्वारा अनेक प्रकार के आंकड़े प्रस्तुत किये जाते हैं। परन्तु यह आंकड़े तथा उन्हें निकालने का तरीका भी गलत है वह भ्रामक है। हम तो केवल यह चाहते हैं कि उत्पादकों को उचित मूल्य दिया जाये।

हमारे देश में चीनी के उत्पादन में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है। वस्तुतः चीनी उद्योग ही ऐसा उद्योग है जो सीमान्त किसान की मदद करने में समर्थ हो सकता है क्योंकि 90 प्रतिशत किसान गन्ने की खेती पर ही निर्भर करते हैं। अतः सरकार को उनकी मदद करने के लिए कुछ न कुछ अवश्य करना चाहिये।

सरकार ने उपभोक्ताओं के नाम पर उद्ग्रहण चीनी निधि बनाई है परन्तु गन्ना उत्पादन निधि नहीं बनाई है। सरकार लघु कृषक संघों तथा लघु कृषक विकास निगमों को लाभ देना चाहती है परन्तु दे नहीं रही। जब सरकार छोटे किसानों को लाभ नहीं पहुंचा रही तो बड़े बड़े चीनी मिल मालिकों को लाभ क्यों दे रही है? सरकार को अपनी चीनी सम्बन्धी नीति पर पुनः विचार करना चाहिए। यदि सरकार उपभोक्ताओं के लिए चीनी के एक समान मूल्य निर्धारित करना चाहती है तो गन्ने के मूल्यों में भी समानता क्यों नहीं लाती?

हमें यह याद रखना चाहिए कि किसानों को लाभ पहुंचाने का उल्लेख 20 सूत्री कार्यक्रम में किया गया है। इसलिए इस पर उचित ध्यान दिया जाये।

[श्री के० सूर्यनारायण]

सहकारी समितियां चीनी उद्योग का अभिन्न अंग है । हम सरकार के साथ सहयोग कर रहे हैं। इस समय चार एजेंसियां हैं लेकिन उनके बीच समन्वय नहीं है । इसलिए सहकारी समितियों को पर्याप्त संसाधन नहीं मिल रहे । यदि सरकार इन समितियों को प्रोत्साहन नहीं देगी तो चीनी उद्योग गैर-सरकारी क्षेत्र में आ जाएगा । यदि सरकार ऐसा नहीं चाहती है तो सरकार को उनकी कठिनाईयों को दूर करना होगा । सरकार को चाहिए कि वह इस समस्या का हल करने के लिए एक समिति की नियुक्ति करे । आपात स्थिति के दौरान गन्ना उत्पादकों को अवश्य संतुष्ट किया जाना चाहिए ।

राज्य सभा से सन्देश —जारी
MESSAGES FROM RAJYA SABHA—*Contd.*

महासचिव : मुझे राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है :–

*(एक) कि राज्य सभा 4 फरवरी 1976 की अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 29 जनवरी 1976 को पास किये गये आक्षेपणीय सामग्री प्रकाशन निवारण विधेयक 1976 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई है ।

*(दो) कि राज्य सभा 5 फरवरी 1976 की अपनी बैठक में मजदूरी संदाय (संशोधन) विधेयक 1976 में लोक सभा द्वारा 3 फरवरी 1976 को किये गये संशोधन से सहमत हुई है और कि राज्य सभा ने 5 फरवरी, 1976 की अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 2 फरवरी, 1976 को संशोधनों के साथ पास किये गये नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) विधेयक 1976 पास किया और विधेयक को इस अनुरोध के साथ लौटाया कि संशोधनों से लोक सभा की सहमति राज्य सभा को सूचित की जाये ।

मैं नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) विधेयक 1976, जो राज्यसभा द्वारा संशोधनों के साथ लौटाया गया है, सभा-पटल पर रखता हूं ।

गन्ने के मूल्य के बारे में चर्चा—जारी
DISCUSSION *RE.* SUGARCANE PRICE—*Contd.*

श्री इराज्मु दसेकैरा (मारमागोआ) : बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सरकारी नीति में निहित स्वार्थों को संरक्षण दिया जाता है और आम आदमी की अपेक्षा की जाती है । उदाहरण के तौर पर गन्ना उत्पादकों को अपने उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिल रहा और उपभोक्ता को काले बाज़ार में खुली चीनी लेनी पड़ती है । गन्ने के मुल्य का निर्धारण भी ठीक नहीं है । इन सब बातों से निहित स्वार्थ अर्थात मिल मालिक ही लाभ उठा रहे हैं । किसान दिन रात खून पसीना एक करके गन्ना पदा करता है लेकिन सरकार उनको उसका प्रतिफल नहीं देती । चीनी के निर्यात से चीनी के मूल्यों में वद्धि हुई है जिसके परिणामस्वरुप उपभोक्ता तथा गन्ना उत्पादक को हानि हुई है । लाभ केवल राज्य

व्यापार निगम को हुआ है। इसलिए मैं यह मांग करता हूं कि चीनी नीति की समीक्षा करने के लिए तत्काल ही समिति नियुक्त की जाए ताकि किसानों को उत्पाद का संगत मूल्य मिल सके।

श्री **पी०नरसिम्हा रेड्डी** (चित्तुर): सदन के सभी सदस्यों ने गन्ना उत्पादकों के साथ किये जा रहे अन्याय का विरोध किया है। मैं सरकार का ध्यान याचिका समिति के प्रतिवेदन की ओर दिलाना चाहता हूं। प्रतिवेदन के पृष्ठ 9 पर कृषि मंत्रालय ने यह सिफ़ारिश की है कि गन्ने का मूल्य साढ़े आठ रु० प्रति क्विंटल से बढ़ाकर साढ़े नौ रु० कर दिया जाए। लेकिन सरकार ने यह सिफ़ारिश नहीं मानी है। सरकार का कहना है कि गन्ने का मुल्य इसलिए नहीं बढ़ाया जा सकता क्योंकि उदग्रहण चीनी का मूल्य बढ़ाया जाना है।

संशोधित चीनी नीति से गन्ना उत्पादकों को काफ़ी नुकसान हुआ है। सबसे अधिक नुकसान आन्ध्र प्रदेश को हुआ है। सरकार ने उदग्रहण चीनी का मूल्य 153 रु० से घटाकर 117 रु० प्रति क्विंटल कर दिया है। अब वहां मिल मालिकों का कहना है कि वे उत्पादकों को गन्ने का अधिक मूल्य नहीं दे सकते। वस्तुतः वे गन्ने का मूल्य गत वर्ष सरकार द्वारा दिए गए मूल्य से भी कम दे रहे है।

सरकार ने खुली चीनी का वसूली मूल्य 350 रु० प्रति क्विंटल रखा है। इसी आधार पर $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत उत्पादन शुल्क लगाया गया है। तर्कहीन तथा असंगत उदग्रहण चीनी मूल्य तथा दोहरी मूल्य नीति अपनाने के कारण बहुत कठिनाई हो रही है।

लोक सभा की याचिकाओं सम्बन्धी समिति ने अपने निष्कर्ष में कहा है कि गन्ना उत्पादकों को लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहे। इसके बाद इस बात की पुष्टि करने की गुंजाईश नहीं है कि गन्ना उत्पादकों के साथ अन्याय हो रहा है। आंध्र प्रदेश में जो लोग चीनी उद्योग स्थापित करना चाहते थे, उन्होंने अपना विचार त्याग दिया है। गन्ना उत्पादक भी यह सोच रहे हैं कि वे गन्ने की बजाय कोई अन्य फ़सल उगायेंगे। संशोधित उदग्रहण चीनी नीति की घोषणा के कारण गन्ने की पिराई में लगभग 10 प्रतिशत कमी हुई है। हो सकता है मौसम समाप्त होने पर कमी और अधिक हो जाए। सरकार स्वयं ही यह अनुमान लगा सकती है कि अगले मौसम में क्या हालत होंगी ? हमें तत्काल ही उपचारात्मक उपाय करने चाहिए ताकि गन्ने का उत्पादन अधिक हो और गन्ना उत्पादकों को नुकसान न उठाना पड़े।

उदग्रहण चीनी मूल्य निर्धारण के लिए जोनों के बनाने के बारे में मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। देश को 16 जोनो में बांटा गया है और प्रत्येक मिल को वसूली तथा स्थानीय मूल्य अनुपात के आधार पर जोन के साथ सम्बद्ध किया है। चित्तूर तथा रायलसीमा की चीनी मिलों को आंध्र प्रदेश जोन में रखा गया है लेकिन वस्तुतः ये मिले तमिलनाडू के अधिक निकट हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि उपरोक्त मिलों को तमिलनाडू जोन में रखा जाए तथा इस जोन को विशेष जोन समझा जाए। सरकार इस पर शीघ्र निर्णय ले और अपनी नीति को बदले।

[श्री नरसिम्हा रेड्डी]

दोहरी मूल्य नीति पर भी पुनः विचार करने और संशोधन करने की आवश्यकता है । इसके कारण कई कठिनाईयां हो सकती है । यदि सरकार इन कठिनाईयों से बचना चाहती है तो उसे एक राष्ट्रीय ज़ोन अथवा सहकारी क्षेत्र बनाना चाहिए तथा उदग्रहण चीनी तथा खुली चीनी के अलग अगल मूल्यों की नीति त्याग देनी चाहिए तथा गन्ना उत्पादकों को लाभकर मूल्य देने चाहिए ।

Shri Ramavtar Shastri (Patna): Even after 27 years of independence, farmers in India are living in miserable condition. The Capitalists are fleecing innocent farmers. Cane-growers are not getting remunerative price for their produce. The result is that they are diverting their land to cultivation of other crops. It will affect earning of foreign exchange also. The sugar policy of the government should be suitable amended.

Sugar mill owners are looting both the cultivators and people. They are getting huge profits by selling sugar in the open market. It is high time that sugar Industry should be Nationalised. Bihar Legislative Assembly has passed a motion regarding Nationalisation of sugar industry. All India Kisan Sabha has sent a memorandum to Agriculture Minister, Shri Jagjivan Ram. The Uttar Pradesh Government has fixed the prices of sugarcane at Rs. 12·25 and Rs. 13·25 per quintal and Bihar Government has fixed this price at Rs. 12·50 per quintal. Farmers in South Bihar were paid at the rate of Rs. 13 per quintal by a sugar factory. Now this factory has announced that it will not pay more than Rs. 12 or 12·50 per quintal and the excess amount paid to the farmers will be recovered. So this type of bungling is going on there. Similarly, Bishnu Sugar Mill in North Bihar is also looting the farmers. There is also discontenment among the workers in a sugar mill located at Behta in South Bihar. I request the Government to nationalise the sugar mills and fix the prices of sugarcane at Rs. 20/- per quintal, so that farmers are not looted. Even wood is costlier than sugarcane in our area. I hope government will consider these points.

श्री **डी० डी० देसाई** (करा) : कृषकों तथा गांवों सम्बन्धी हमारी नीति समुचित होनी चाहिए । बिट्रिश शासनकाल के दौरान ग्रामीण क्षेत्र का बहुत शोषण हुआ । चीनी लेवी की नीति हमारे गन्ना उत्पादकों के साथ धोखा है । नीति के अनुसार दक्षिण बिहार के लिए 442 रु०, उत्तर बिहार के लिए 224 रु०, आंध्र प्रदेश के लिए 118 रु०, गुजरात के लिए 124 रु०, महाराष्ट्र के लिए 140 रु० और कर्नाटक के लिए 140 रु० की दर निश्चित की गयी है । दक्षिणी भारत में अधिकांश सहकारी चीनी मिलें और गुजरात में तो शत प्रतिशत सहकारी चीनी मिलें है । ये मिलें 14 रु० की दर से अग्रिम राशि किसानों को देती है । लेकिन इनके लिए लेवी मूल्य 118, 124 तथा 140 रु० रखा गया है । इसका आधार क्या है ? 1972 से पहले सारे देश भर के लिए 150 रु० का समान मूल्य निर्धारित किया गया था । उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि मूल्य विभिन्न स्थानों के लिए लागत, वसूली, सिंचाई सुविधाओं तथा तकनीकी जानकारी के उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए समान नहीं हो सकते । सरकार को चीनी के उद्योगपतियों ने अपने हित के लिए गुमराह किया ।

20 सूत्री कार्यक्रम मुख्यतः ग्रामीणों के लिए है । गांव के लोगों के लिए जो कुछ भी जरुरी है किया ही जाना चाहिये ।

अधिकांश देशों में कृषि कार्य के लिए सरकारी सहायता दी जाती है । यह सहायता उद्योगों तथा अन्य क्षेत्रों के माध्यम से दी जाती है ।

देश भर की सहकारी चीनी मिलों में 60 प्रतिशत धन गन्ना उत्पादकों ने लगा रखा है । ये किसानों की ही सहकारी मिलें हैं । यदि यह बात है

तो चीनी और गन्ने के बारे में कोई जानकारी न रखने वाले दिल्ली में बैठे लोगों द्वारा चीनी के मूल्य निर्धारित करना कहां तक उचित है। मैं तो कहूंगा कि कृषि मूल्य आयोग को भी समाप्त किया जाना चाहिए। कपड़ा, पिटसन तथा अन्य सभी बातों के लिए इस सदन के सदस्यों की एक संस्था अथवा समिति स्थापित की जानी चाहिए। मेरे जिले के खांड उद्योग को 168 लाख रुपये की हानि हुई है जबकि इसकी प्रदत्त पूंजी 110 लाख रुपये है। यदि सहकारी बैंक न होता तो यह उद्योग बंद हो गया होता।

गत वर्ष चीनी के निर्यात से हमें 350 करोड़ रु० का लाभ हुआ। इस वर्ष 450 करोड़ रु० की आशा है। हमें एक हजार करोड़ रु० तक का लाभ होता यदि सरकार गलत नीति न अपनाती। मिल मालिक गन्ना उत्पादकों को 11 रु० देने में भी संकोच करते हैं। गुजरात जहां 100 प्रतिशत मिलें सहकारी क्षेत्र में है 14 रु० फी दर से गन्ना उत्पादकों को दिया जाता है।

यह बात स्पष्ट है कि चीनी नीति के बारे में सरकार को नीहित स्वार्थ वाले लोग गुमराह कर रहे हैं। टैरिफ़ आयोग ने सैंकडों रिपोर्ट प्रस्तुत की है लेकिन कितनी सिफ़ारिशों को स्वीकार किया गया। फ़िर भी टैरिफ़ आयोग के नाम पर बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। झूठ बोल कर सरकार को बेवकूफ़ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इन सब बातों के लिए सदन के सदस्यों की एक समिति का गठन किया जाये। कृषि मूल्य आयोग तो किसानों की दशा को निम्नतम स्तर पर लाने का ही काम करता आ रहा है।

Shri Shivnath Singh (Jhunjhunu) : The question of sugarcane price payable to the growers has been discussed many a time both inside and outside the House. The Government should categorically state that the farmers will be paid reasonable price for their produce like rice, sugarcane and wheat.

The prices of all the industrial products are not less than the cost of production. Today sugar is being sold at Rs. 4·70 per k.g. whereas farmer is only paid Rs. 12/- or 13/- per quintal as a price for his sugarcane.

Sugar price is fixed after calculating the cost of machinery, labour electricity and coal but no such calculation is done in case of sugarcane.

Agricultural Prices Commission is nothing but a bogus body of the country. This body should be wound up.

The Government has never published figures regarding cost of production by the farmers. The Agricultural Prices Commission has also not published such figures. The Government should atleast publish the figures regarding per acre cost of production.

It should be made amply clear to the factory owners that Government is no longer going to protect them. Today no attention is being paid towards the plight of farmers. No expert or economist has ever visited the farm of a farmer. The farmer should atleast get the cost of production.

We have to examine the difference of prices between sugarcane and sugar. Is it justice to pay Rs. 12/- per quintal as price to the farmer for the sugarcane and sell sugar in the open market at the rate of Rs. 4·70 or Rs. 4·80 per k.g. Our pricing policy is defective. Foreign exchange by exporting the sugar is being earned at the cost of farmers. It is for this reason

[Shri Shivnath Singh]

that farmers are growing other crops instead of sugarcane. A system for ensuring reasonable sugarcane prices should be evolved. The Government should make a categorical announcement that farmers will not get less than the cost of production.

श्री शाहनवाज खां : सभापति महोदय...

Mr. Chairman: You can continue your speech tomorrow.

इसके बाद लोकसभा शुक्रवार, 6 फरवरी, 1976/17 माघ, 1897 (शक) के ग्यारह बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Friday, February 6, 1976/Magha 17, 1897 (Saka).

GMGIPND--L—299 LS—25-6-76—200

म० प्र० भा० स० मु० न० दिल्ली—लाईनो—299 लोक सभा—25-6-76—200.